

# Sept-2021 ISSUE-III, VOLUME-X

Published Quarterly issue  
With ISSN 2394-8426 International Impact Factor 6.222  
Peer Reviewed Journal



Published On Date 30.09.2021

Issue Online Available At : <http://gurukuljournal.com/>

Organized &  
Published By

Chief Editor,  
Gurukul International Multidisciplinary Research Journal  
Mo. +919273759904 Email: [chiefeditor@gurukuljournal.com](mailto:chiefeditor@gurukuljournal.com)  
Website : <http://gurukuljournal.com/>

**INDEX**

Paper No.	Title	Author Name	Page No.
1	बाल संप्रेक्षण गृह के अपराधी बालकों की संवेगात्मक बुद्धि एवं समायोजन के मध्य सहसंबंध का अध्ययन	डॉ. सौम्या नैयर & संजू साहू	3-11
2	माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की तार्किक क्षमता पर अनुभवजन्य अधिगम के प्रभाव का अध्ययन रायपुर जिले के संदर्भ में	डॉ. स्वाति श्रीवास्तव & राखी महोबिया	12-19
3	कक्षा 11वीं सी.जी.बी.एस.ई. के विद्यार्थियों की तार्किक क्षमता पर सोशल मीडिया के प्रभाव का अध्ययन	डॉ. स्वाति श्रीवास्तव & रश्मी वर्मा	20-24
4	स्वाभिमान व सबलीकरण योजनेचा अनुसूचित जमातीतील (माना जमात) शेतमजुरांवर झालेला परिणाम	डॉ. नागसेन शंभरकर	25-30
5	Gandhi And Religion	Dr. Anuradha Srivastava	31-36
6	भारतातील बालकामगार: स्थिती आणि आव्हाने	शशिकांत व्ही. डांगे	37-50

## बाल संप्रेक्षण गृह के अपराधी बालकों की संवेगात्मक बुद्धि एवं समायोजन के मध्य सहसंबंध का अध्ययन

\*डॉ. सौम्या नैयर, प्राचार्य, प्रगति महाविद्यालय, चौबे कालानी, रायपुर (छ.ग.)

\*\*संजू साहू, एम.एड. (प्रशिक्षार्थी), प्रगति महाविद्यालय, चौबे कालानी रायपुर (छ.ग.)

### सारांश

सांवेगिक बुद्धि वह योग्यता है जो संवेग का अभिज्ञान तथा संवेगों को व्यवस्थित करती है। यह व्यक्तिगत कुशलता है जो भिन्न-भिन्न व्यक्तियों में भिन्न-भिन्न मात्रा में व्यक्ति के सामाजिक समायोजन को प्रभावित करती है। समायोजन हेतु व्यक्ति अपने व्यवहार में परिवर्तन करते हैं। अधिक सांवेगिक बुद्धि वाले व्यक्ति कम सांवेगिक बुद्धि वाले व्यक्ति की अपेक्षा अपने व्यवहार में परिवर्तन करने में कम सफल होते हैं या अधिक सफल होते हैं यह आज के सन्दर्भ में शोध का विषय है और समायोजन के क्षेत्र में किस प्रकार का व्यवहार करते हैं और क्या भिन्न सांवेगिक बुद्धि, उपलब्धि को भी प्रभावित करती है, इन्हीं प्रश्नों को मस्तिष्क में रखकर शोधकर्ता ने प्रस्तुत शोध अध्ययन का लक्ष्य बाल संप्रेक्षण गृह के अपराधी बालकों की संवेगात्मक बुद्धि एवं समायोजन के मध्य सहसंबंध का अध्ययन करना निश्चित किया। प्रस्तुत शोध कार्य के लिए सर्वेक्षण विधि को आधार बनाया गया है। बाल संप्रेक्षण गृह के अपराधी बालकों को यादृच्छिक न्यादर्श विधि द्वारा चयन किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन में परिकल्पनाओं के परीक्षण एवं निष्कर्ष प्राप्ति हेतु माध्य, प्रमाप विचलन तथा क्रांतिक अनुपात का प्रयोग किया गया है। संप्रेक्षण गृह के अपराधी बालकों के संवेगात्मक बुद्धि का उनके समायोजन क्षमता में कोई संबंध नहीं पाया गया संप्रेक्षण गृह के बारह वर्ष के बाल अपराधी बालकों के संवेगात्मक बुद्धि का उनके समायोजन क्षमता में कोई संबंध नहीं पाया गया।

### 1. भूमिका

मानव व्यवहार के क्षेत्र में किशोर विद्यार्थियों का अत्यधिक महत्व है। इस अवस्था में बालक में क्रांतिकारी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं सांवेगिक परिवर्तन होते हैं। इस अवस्था में किशोर बुरी आदतों का शिकार जल्दी होते हैं, समायोजन करने की शक्ति कम होती है और उनके संवेगों और आवेगों में इतनी परिवर्तनशीलता होती है कि वे प्रायः विरोधी व्यवहार करते हैं जिससे उन्हें समझना कठिन हो जाता है। इस अवस्था में किशोर अपने मूल्यों, आदर्शों और संवेगों में संघर्ष का अनुभव करते हैं, जिसके फलस्वरूप वे अपने आप को द्वन्द्व की स्थिति में पाते हैं। उनके मन में कई आकांक्षाएं जन्म लेती हैं। जब वे आकांक्षा के अनुरूप फल प्राप्त करते हैं तो आनन्द की अनुभूति करते हैं लेकिन यदि उनके प्रगति पथ में बाधाएं, रूकावट परेशानियां आती हैं तो वे तुरन्त टूट जाते हैं। उस समय यदि उनकी भावनाओं को नहीं समझा गया तो वे पहले उदास और उसके बाद आकामक, विद्रोही एवं विद्वेषी बन जाते हैं। अतः इस अवस्था में विद्यार्थी के भावनात्मक पक्ष का अध्ययन अत्यन्त आवश्यक है।

शिक्षा मनुष्य को अनुपम सुंदर बना देती है शिक्षा ही एक अबोध शिशु को कर्मठ व सफल नागरिक बनाती है। आज शिक्षा का महत्व इतना बढ़ गया है कि संपूर्ण संसार इसकी अपार शक्ति का पूरक बन गया है आंतरिक शक्तियों को विकसित करने व संस्कृति को अनुप्रभावित करने के लिये शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है।

विवेकानंद :- शिक्षा मनुष्य के अंदर सन्निहित पूर्णता का प्रदर्शन है।

### संवेगात्मक बुद्धि

सामान्यतया व्यक्ति की सफलता के पीछे उसकी बुद्धि का महत्वपूर्ण स्थान होता है। मनोवैज्ञानिकों ने अब तक बुद्धि के ज्ञानात्मक पक्ष पर ही अधिक ध्यान दिया इसका मापन करने के लिए बुद्धिलब्धि (I.Q.) का प्रयोग किया गया। परन्तु वर्तमान में नवीन शोधों के परिणामों द्वारा मनोवैज्ञानिक इस बात पर

सहमत हुए हैं कि वास्तविक जीवन में व्यक्ति की सफलता की भविष्यवाणी के लिए बुद्धि के केवल ज्ञानात्मक पक्ष की ही आधार नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं, जो यह इंगित करते हैं कि अधिक बुद्धिलब्धि वाले व्यक्ति भी अपने जीवन में कुछ उपलब्धियां पाने में असफल हो जाते हैं और कम बुद्धिलब्धि वाले व्यक्ति कई कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न कर लेते हैं। वर्तमान समय में नवीन शोधों द्वारा मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्ति की सफलता की भविष्यवाणी करने के लिए जिस आधारभूत तथ्य को प्रकट किया वह है “संवेगात्मक बुद्धि” (Emotional Intelligence)।

### समायोजन

समायोजन हमारे जीवन की एक आवश्यक प्रक्रिया है। समायोजन शब्द जीव विज्ञान के अनुकूलन का पर्याय है। दैनिक जीवन में मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति समायोजन की प्रक्रिया के द्वारा करता है। अरकौफ (1968) ने समायोजन को व्यक्ति की पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया के रूप में परिभाषित किया है। प्रत्येक मनुष्य सतत् रूप से आवश्यकताओं की पूर्ति में एवं लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रयासरत् रहता है। उसी समय उस पर एक निश्चित करने के लिए पर्यावरण का दबाव रहता है। समायोजन में व्यक्तिगत एवं पर्यावरणीय मांग में सामंजस्य होता है।

प्रस्तुत अध्ययन में समायोजन को घर एवं परिवार सम्बन्धी समायोजन, स्वास्थ्य समायोजन, सामाजिक समायोजन एवं संवेगात्मक समायोजन के संदर्भ में ग्रहण किया गया है।

### बाल सुधार गृह

“बाल पर्यवेक्षण गृह” से तात्पर्य उन गृहों से है जहां बाल-अपराधियों को कानूनी कार्यवाही समाप्त होने तक की अवधि के लिये सुरक्षा के दृष्टिकोण से रखा जाता है। इस अवधि में बालक के व्यक्तित्व का अध्ययन तथा उसके व्यवहार का अवलोकन किया जाता है।

प्रस्तुत अध्याय में अपराधी बालकों के सुधार में कार्यरत बाल-सुधार गृहों के कार्यक्रमों और सेवाओं का अध्ययन किया गया है। यह जानने का प्रयास किया गया है कि इन बाल सुधार गृहों के कार्यक्रम और सेवायें क्या हैं? तथा क्या इन सुधार गृहों में रहने वाले बाल-अपराधी संस्थात्मक कार्यक्रम और सेवाओं से सन्तुष्ट हैं? दूसरे शब्दों में, संस्थात्मक कार्यक्रम और सेवायें बाल-अपराधियों के सुधार में कहां तक सहायक हैं? इन समस्त बातों का अध्ययन प्रस्तुत अध्याय में किया गया है, लेकिन इससे पहल यह जान लेना आवश्यक है कि बाल-सुधार गृहों की स्थापना किस प्रकार हुई।

वर्तमान समय में बाल अपराधियों के संबंध में मानव दृष्टिकोण में महान परिवर्तन हुए हैं। यह परिवर्तन इसलिये हुए हैं, क्योंकि आज ऐसा स्वीकार किया जा रहा है कि अपराधी बालकों को अपराधी वातवरण से दूर रखकर उनका सुधार किया जा सकता है। क्योंकि बाल अपराधी ऐसी मनोवृत्ति के नहीं होते जिसमें अपराधी व्यवहार उनके स्वभाव तथा जीवन शैली का अभिन्न अंग बन जाता है। बाल अपराधी प्रायः किन्हीं सामाजिक तथा पारिवारिक परिस्थितियों के शिकार होते हैं और उनकी अपराधिता आकस्मिक होने के साथ ही साथ उनकी अपरिपक्व बुद्धि, कानूनों के परिणामों के प्रति अज्ञानता तथा अपराधी कार्य करने की योजना के अभाव का प्रदर्शन मात्र है। इन परिस्थितियों में उनके लिये दण्ड की ऐसी व्यवस्था का होना अनिवार्य है जिसका प्रमुख उद्देश्य उनका सुधार तथा चारित्रिक पुर्नगठन करना हो। इसी विश्वास पर आधारित मान्यताओं को स्वीकार करते हुए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर बाल अधिनियम पारित किये गये। 1920 में जेल कमेटी के सुधारों के उपरान्त सम्पूर्ण भारतवर्ष में बाल अधिनियमों की एक लहर सी दौड़ गयी। इन बाल अधिनियमों में रिफ़ॉर्मेटरी स्कूल एक्ट (1896), यू.पी. चिल्ड्रन एक्ट (1952) तथा केन्द्रीय बाल अधिनियम (1960) विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

बाल सुधार गृह में किये जाने वाले प्रमुख साधन :-

1. परम्परागत मूल्यों को मानने वाले अपराधी बालकों को सुरक्षा प्रदान करना तथा उन मूल्यों को मानते रहने की प्रेरणा देना।
2. प्रशासनिक अधिकारियों एवं अपराधी बालकों के मध्य सामाजिक दूरी इतनी कम रखना है कि संस्था की परिस्थिति उनके व्यक्तित्व में उत्पन्न हुए नियमों संबंधों संघर्षों को दूर कर सके तथा उनके मूल्यों को परिवर्तित करने में प्रेरित कर सके।
3. संस्था में ऐसा औपचारिक व अनौपचारिक संगठन स्थापित करना जो उसके परम्परागत मूल्यों के लिये आदर उत्पन्न कर सकें।
4. बालकों को कुछ ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा व्यस्त रखना जिससे उनमें कार्य करने के लिये रुचि बनी रहे तथा वह कार्य संस्था से मुक्त होने के पश्चात् उनके समाज में पुर्नवास में सहायक हो सके।

## 2. अध्ययन का महत्व

संसार के समस्त प्राणियों की भांति बौद्धिक प्राणी मनुष्य भी दिन-रात क्रियाशील रहता है। सोना-जागना, खेलना, कार्य करना, सोचना, चिंतन करना इत्यादि उसकी विभिन्न क्रियायें होती हैं। सहज क्रियाओं को छोड़कर मनुष्य की सभी क्रियायें प्रेरकों पर आधारित होती हैं। जिनके मूल आवश्यकतायें होती हैं। इन आवश्यकताओं से प्रेरित होकर मनुष्य लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है। जब वह लक्ष्य प्राप्त कर लेता है तो उसका तनाव कम अथवा समाप्त हो जाता है। परन्तु कभी-कभी मनुष्य को लक्ष्य प्राप्त करने में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जिसके फलस्वरूप उसके मन में संवेगात्मक उथल-पुथल व तनाव रहता है। इस तनाव के कारण व्यक्ति परिस्थितियों से सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता एवं इसीके परिणाम स्वरूप कई व्यक्ति असमायोजित परिस्थिति में अवांछनीय मार्ग को ग्रहण कर लेते हैं, जिसके कारण उसकी इच्छाओं में भी परिवर्तन हो जाता है तथा वे अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। विशेष कर शिक्षक विद्यालयों की विभिन्न परिस्थितियों में अपने आप को समायोजित करने की भरसक प्रयत्न करते हैं, और यदि वह समायोजित नहीं हो पाते हैं तो वे स्वयं को कुंठित व हतोत्साहित व हीन महसूस करने लगते हैं। जिसके परिणामस्वरूप उनके समक्ष और भी समस्यायें उत्पन्न हो जाती हैं। ये समस्यायें कई प्रकार की हो सकती हैं। चाहे वह विद्यार्थियों व प्राचार्यों के व्यवहार से संबंधित हो, चाहे विद्यालय वातावरण से या फिर किसी अन्य बाधाओं से युक्त। कुसमायोजन की स्थिति में शिक्षक के मन में क्षोभ व अकुलाहट उत्पन्न हो जाते हैं।

वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति अनंत शक्ति तथा ज्ञान से परिपूर्ण होता है। परन्तु उनके शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक योग्यता आदि में भिन्नता होती है और इन्हीं विभिन्नताओं के कारण प्रत्येक व्यक्ति के समायोजन करने में अंतर होता है। बाल अपराधी बालकों को भी विभिन्न आयु वर्ग एवं उनके किये गये अपराधों के आधार पर विभाजित किया गया है। अतः उनकी आयु एवं अपराध के आधार पर उनमें समायोजन क्षमता तथा संवेगात्मक बुद्धि दोनों में विभिन्नतायें पायी जाती हैं।

पिछले शोध अध्ययनों में इस समस्या पर विचार नहीं किया गया है इसलिए शोधकर्ता ये समस्या ली है जिसका परिणाम शिक्षा के क्षेत्र में लागू होता है। संवेगात्मक बुद्धि के विकास से बालक अपने एवं दूसरे के भावों को पहचानने तथा अपने आप को अभिप्रेरित करके, अपने संबंधों को प्रबंधित करने की क्षमता को बढ़ाता है। अपराधी बालकों की संवेगात्मक बुद्धि अच्छी होगी तो उनके समायोजन में निरंतर वृद्धि होगी और वे अपने में सुधार करके जीवन को नई दिशा प्रदान कर सकेंगे।

## 3. पूर्व में किए गए शोध कार्य

सेकर एवं लारेंस (2016) ने यह जांचने के लिए कि क्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्रों के समायोजन और शैक्षणिक सम्प्राप्ति के बीच कोई सार्थक संबंध होता है, का अध्ययन किया था। यह अध्ययन

सर्वेक्षण विधि पर आधारित था। शोधकर्ताओं ने न्यादर्श चयन हेतु स्तरीकृत यादृष्टिक विधि का प्रयोग किया। छात्रों को लिंग व स्थान के आधार पर स्तरीकरण किया गया था। इस कार्य हेतु तंजावुर जिले के 10 स्कूलों के 350 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्रों को शामिल किया गया। आंकड़ों के संकलन हेतु सिन्हा एवं सिंह (2007) द्वारा विकसित समायोजन सूची एवं शैक्षणिक सम्प्राप्ति के मापन के लिए अन्वेषक द्वारा निर्मित की गयी प्रश्नावली थी। अध्ययन के फलस्वरूप प्राप्त निष्कर्ष दर्शाते हैं कि, शैक्षणिक सम्प्राप्ति के संबंध में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्रों के संवेगात्मक, सामाजिक और शैक्षिक समायोजन के बीच सार्थक सहसम्बन्ध पाया गया।

**कुमार विनीत एवं अन्य (2013)** "इफैक्ट ऑफ इमोशनल इंटलैजेन्सी आन एचीवमेंट मोटीवेशन, साइकोलॉजीकल एडजस्टमेंट एण्ड स्कारलिस्ट परफारमेंस ऑफ सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट"। प्रस्तुत शोध कार्य में माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों की सांवेगिक बुद्धि का उपलब्धि अभिप्रेरणा, मनोवैज्ञानिक समायोजन एवं शैक्षिक निष्पत्ति पर प्रभाव का अध्ययन किया गया। अध्ययन के लिए जयपुर शहर के 450 छात्रों का चयन किया गया। उपकरण के रूप में घर द्वारा निर्मित EIS, मेहता द्वारा निर्मित AVPI तथा सिन्हा एवं सिंह द्वारा रचित समायोजन सूची का प्रयोग किया गया। अध्ययन से यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि सांवेगिक बुद्धि का उपलब्धि अभिप्रेरणा और सामाजिक समायोजन पर सार्थक असर होता है।

**गुप्ता पी. एल. एवं शर्मा सुमन (2013)** ए स्टडी ऑफ एउस्टमेंट प्रॉब्लम ऑफ सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट इन रिलेशन टी देयर सेन एण्ड लोकल। प्रस्तुत शोधकार्य कांगड़ा जिले के माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले 200 विद्यार्थियों पर किया गया। सक्सेना द्वारा निर्मित समायोजन सूची का उपयोग कर आंकड़े इकट्ठे किए गए। आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए मध्यमान, मानक विचलन एवं 'टी' मान का प्रयोग किया गया। शोध के परिणाम स्वरूप यह प्राप्त हुआ कि छात्र एवं छात्राओं के घर, समाज, स्वास्थ्य, संवेग और विद्यालय के क्षेत्र में समायोजन स्तर में कोई अंतर नहीं है। ग्रामीण एवं शहरी विद्यार्थियों के समायोजन स्तर में अन्तर प्राप्त हुआ।

**गुप्ता पी. आर. (2013)** एडजस्टमेंट ऑफ जेंडर फ्रॉम ब्रोकेन होम्स। प्रस्तुत अध्ययन के लिए 30 बिखरे एवं 30 संयुक्त परिवार के ऐसे सदस्यों का चयन किया गया जिनकी उम्र 16-24 वर्ष के बीच थी। आंकड़ों प्राप्त करने के लिए समायोजन सूची का प्रयोग किया गया और समायोजन के पांच क्षेत्र – घर, स्वास्थ्य, सामाजिक, सांवेगिक एवं विद्यालय कॉलेज पर प्राप्तांक प्राप्त किए गए। अध्ययन के फलस्वरूप यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि बिखरे परिवार के सदस्यों का समायोजन के प्रत्येक क्षेत्र में समायोजन स्तर संयुक्त परिवार के सदस्यों की तुलना में कम है। अध्ययन से यह भी निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि दोनों समूहों में सामाजिक एवं सांवेगिक क्षेत्र में समायोजन स्तर में बहुत बड़ा अन्तर है लेकिन विद्यालय के क्षेत्र में यह अन्तर सबसे कम है।

**जैरी (2012)** ने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिये समायोजन समस्याओं पर अध्ययन किया। यह अध्ययन केन्द्रिय संयुक्त राष्ट्र अमेरीका के विश्वविद्यालय के 85 विद्यार्थियों पर किया गया। परिणाम में पाया कि छात्राओं की समायोजन क्षमता छात्रों की अपेक्षा अधिक होती है।

#### 4. समस्या का कथन

"बाल संप्रेक्षण गृह के अपराधी बालकों की संवेगात्मक बुद्धि एवं समायोजन के मध्य सहसंबंध का अध्ययन।"

#### 5. प्रकार्यात्मक परिभाषा

**संवेगात्मक बुद्धि :-** संवेगात्मक बुद्धि, बुद्धि के क्षेत्र में यह एक नया प्रत्यय है। इस प्रकार की बुद्धि का तात्पर्य उस दक्षता से है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपने तथा दूसरों के संवेगों का प्रभावी प्रबंधन करता है।

गोलमैन एवं बायोतिज के अनुसार :- “संवेगात्मक बुद्धि से हमारा तात्पर्य स्व-जागरूकता, स्व-प्रबंधन, सामाजिक जागरूकता तथा सामाजिक दक्षताओं के सही समय पर प्रभावी ढंग से प्रयुक्त करने की क्षमता है।”

**समायोजन :-** समायोजन व्यक्ति की वह विशेषता है जिसके अनुसार वह अपने जीवन की मुख्य समस्याओं को समझता है, प्रतिक्रिया करता है व उनका समाधान करता है।

**बाल अपराधी :-** यह मानते हैं कि बाल अपराधी केवल अल्प आयु के अपराधी होते हैं, अर्थात् गैर वयस्क को अपराधी माना जाता है, जो देश के कानून द्वारा निर्धारित 16 या 18 वर्ष की उम्र के हैं। बाल न्यायालय अधिनियम (1986) के अनुसार आज बाल अपराधियों की अधिकतम आयु लड़कों के लिए 16 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष है।

#### 6. अध्ययन का उद्देश्य

1. संप्रेक्षण गृह के अपराधी बालकों के संवेगात्मक बुद्धि एवं उनके समायोजन क्षमता के मध्य संबंध का अध्ययन करना।
2. बारह वर्ष के बाल अपराधी बालकों की संवेगात्मक बुद्धि एवं उनके समायोजन क्षमता के मध्य संबंध का अध्ययन करना।

#### 7 अध्ययन की परिकल्पना :-

इसके लिए निम्न परिकल्पनाओं का निर्माण किया गया :-

1. संप्रेक्षण गृह के अपराधी बालकों के संवेगात्मक बुद्धि का उनके समायोजन क्षमता के साथ कोई सार्थक संबंध नहीं पाया जायेगा।
2. बारह वर्ष के बाल अपराधी बालकों के संवेगात्मक बुद्धि का उनके समायोजन क्षमता के साथ कोई सार्थक संबंध नहीं पाया जायेगा।

#### 8. अध्ययन की परिसीमा

प्रस्तुत अध्ययन के लिये निम्नलिखित परिसीमाओं का निर्माण किया गया है :-

1. छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर एवं दुर्ग दो संप्रेक्षण गृहों के बाल अपराधी बालकों को चयनित किया गया है।
2. यह अध्ययन केवल बालकों पर किया गया है।
3. अध्ययन के लिये 150 बाल अपराधी बालकों को चयनित किया गया है।
4. इस अध्ययन हेतु शोधकर्ता ने शोध की सर्वे विधि का प्रयोग किया गया है।

#### 9. शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोधकार्य हेतु विधि के चयन में शोधकर्ता ने सर्वेक्षण विधि का कार्य को कार्य की प्रकृति के अनुकूल पाया। क्योंकि मुख्यतः सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किसी क्षेत्र में स्थापित तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। सर्वेक्षण विधि का संबंध वर्तमान परिस्थितियों के संबंधों प्रचलित व्यवहारों, विश्वास, दृष्टिकोण या अभिवृत्तियों से होता है। प्रस्तुत शोध कार्य के लिए सर्वेक्षण विधि को आधार बनाया गया है।

#### 10. जनसंख्या

प्रस्तुत लघु शोध प्रबंध में जनसंख्या से आशय दुर्ग एवं रायपुर जिले में बाल संप्रेक्षण गृह में रह रहे बाल अपराधियों से हैं।

क्रं.	संप्रेक्षण गृह का नाम	बाल अपराधियों की संख्या
1.	बाल संप्रेक्षण गृह, माना केम्प, रायपुर	276

2.	बाल संप्रेक्षण गृह पुलगांव, गोकुल नगर, दुर्ग	196
<b>कुल योग</b>		<b>462</b>

### 11. न्यादर्श

प्रस्तुत शोध अध्ययन में बाल संप्रेक्षण गृह के अपराधी बालकों को यादृच्छिक न्यादर्श विधि द्वारा चयन किया गया है।

क्रं.	संप्रेक्षण गृह का नाम	बाल अपराधियों की संख्या
1.	बाल संप्रेक्षण गृह, माना केम्प, रायपुर	75
2.	बाल संप्रेक्षण गृह पुलगांव, गोकुल नगर, दुर्ग	75
<b>कुल योग</b>		<b>150</b>

### 12 समस्या का चर :-

(क) स्वतंत्र चर – अपराधी बालक

(ख) आश्रित चर – संवेगात्मक बुद्धि एवं समायोजन क्षमता

### 13. उपकरण

प्रस्तुत शोध कार्य की परिकल्पनाओं के आधार पर शोधकर्ता द्वारा पूर्व निर्मित “के. पी. सिन्हा एवं आर.पी. सिंग” द्वारा निर्मित “समायोजन क्षमता मापनी” एवं “मंगल एवं मंगल” द्वारा निर्मित “संवेगात्मक बुद्धि मापनी” का उपयोग किया गया है।

### 14. सांख्यिकीय विश्लेषण

प्रस्तुत अध्ययन में परिकल्पनाओं के परीक्षण एवं निष्कर्ष प्राप्ति हेतु माध्य, प्रमाप विचलन तथा क्रांतिक अनुपात का प्रयोग किया गया है। गणितीय विश्लेषण हेतु निम्न सांख्यिकीय सूत्र का प्रयोग किया गया :-

### 15. परिकल्पना का प्रमापीकरण एवं परिणाम

#### परिकल्पना क्रमांक 1

संप्रेक्षण गृह के अपराधी बालकों के संवेगात्मक बुद्धि का उनके समायोजन क्षमता के साथ कोई सार्थक संबंध नहीं पाया जायेगा।

#### सारणी क्रमांक 4.1

संप्रेक्षण गृह के अपराधी बालकों के संवेगात्मक बुद्धि का उनके समायोजन क्षमता का संख्या, मध्यमान, प्रमाप विचलन, टी मूल्य एवं परिणाम दर्शाने वाली सारणी

चर	छात्रों की संख्या	मध्यमान	प्रमाणिक विचलन	CR मूल्य	सार्थक / सार्थक नहीं
बाल संप्रेक्षण गृह, रायपुर	75	22.5	5.67	1.085	सार्थक नहीं
बाल संप्रेक्षण गृह, दुर्ग	75	21	5.015		

### व्याख्या :-

सारणी क्रमांक 4.1 से स्पष्ट है कि बाल संप्रेक्षण गृह के अपराधी बालकों के संवेगात्मक बुद्धि का उनके समायोजन क्षमता पर बाल संप्रेक्षण गृह, रायपुर के बाल अपराधियों का मध्यमान 22.5 तथा प्रमाणिक विचलन 5.67 प्राप्त हुआ है, एवं बाल संप्रेक्षण गृह, दुर्ग के बाल अपराधियों का मध्यमान 21 तथा प्रमाणिक

विचलन 5.015 पाया गया है एवं दोनों के मध्य क्रांतिक अनुपात की गणना की गई जो 1.085 प्राप्त हुआ है जो कि सार्थकता स्तर 0.01 के तालिका मूल्य 2.66 से कम हैं जो कि स्वतंत्रता अंश 148 पर सार्थक अंतर नहीं दर्शाता है, अतः शोधकर्ता का परिकल्पना स्वीकृत होता है।

इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि संप्रेक्षण गृह के अपराधी बालकों के संवेगात्मक बुद्धि का उनके समायोजन क्षमता में कोई संबंध नहीं पाया गया। अतः हमारी परिकल्पना संप्रेक्षण गृह के अपराधी बालकों के संवेगात्मक बुद्धि का उनके समायोजन क्षमता के साथ कोई सार्थक संबंध नहीं पाया जायेगा। स्वीकृत होती है।

#### परिकल्पना क्रमांक 2

बारह वर्ष के बाल अपराधी बालकों के संवेगात्मक बुद्धि का उनके समायोजन क्षमता के साथ कोई सार्थक संबंध नहीं पाया जायेगा।

#### सारणी क्रमांक 4.2

बारह वर्ष के बाल अपराधी बालकों के संवेगात्मक बुद्धि का उनके समायोजन क्षमता का संख्या, मध्यमान, प्रमाप विचलन, टी मूल्य एवं परिणाम दर्शाने वाली सारणी

चर	छात्रों की संख्या	मध्यमान	प्रमाणिक विचलन	CR मूल्य	सार्थक/ सार्थक नहीं
बाल संप्रेक्षण गृह, रायपुर	25	36.43	9.12	1.22	.05 स्तर पर सार्थक नहीं
बाल संप्रेक्षण गृह, दुर्ग	25	33.93	7.20		

#### व्याख्या :-

सारणी क्रमांक 4.2 से स्पष्ट है कि बारह वर्ष के बाल अपराधी बालकों के संवेगात्मक बुद्धि का उनके समायोजन क्षमता पर बाल संप्रेक्षण गृह, रायपुर के बाल अपराधियों का मध्यमान 36.43 तथा प्रमाणिक विचलन 9.12 प्राप्त हुआ है, एवं बाल संप्रेक्षण गृह, दुर्ग के 12 वर्ष के बाल अपराधियों का मध्यमान 33.93 तथा प्रमाणिक विचलन 7.20 पाया गया है एवं दोनों के मध्य क्रांतिक अनुपात की गणना की गई जो 1.22 प्राप्त हुआ है जो कि सार्थकता स्तर 0.01 के तालिका मूल्य 2.66 से कम हैं जो कि स्वतंत्रता अंश 48 पर सार्थक अंतर नहीं दर्शाता है, अतः शोधकर्ता का परिकल्पना स्वीकृत होता है।

इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि संप्रेक्षण गृह के बारह वर्ष के बाल अपराधी बालकों के संवेगात्मक बुद्धि का उनके समायोजन क्षमता में कोई संबंध नहीं पाया गया। अतः हमारी परिकल्पना बारह वर्ष के बाल अपराधी बालकों के संवेगात्मक बुद्धि का उनके समायोजन क्षमता के साथ कोई सार्थक संबंध नहीं पाया जायेगा। स्वीकृत होती है।

#### 16. निष्कर्ष

परिकल्पनाओं के आधार पर निष्कर्ष निम्न प्रकार से हैं :-

#### परिकल्पना क्रमांक 1

संप्रेक्षण गृह के अपराधी बालकों के संवेगात्मक बुद्धि का उनके समायोजन क्षमता के साथ कोई सार्थक संबंध नहीं पाया जायेगा।

इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि संप्रेक्षण गृह के अपराधी बालकों के संवेगात्मक बुद्धि का उनके समायोजन क्षमता में कोई संबंध नहीं पाया गया। अतः हमारी परिकल्पना संप्रेक्षण गृह के अपराधी बालकों के संवेगात्मक बुद्धि का उनके समायोजन क्षमता के साथ कोई सार्थक संबंध नहीं पाया गया। स्वीकृत होती है।

### परिकल्पना क्रमांक 2

बारह वर्ष के बाल अपराधी बालकों के संवेगात्मक बुद्धि का उनके समायोजन क्षमता के साथ कोई सार्थक संबंध नहीं पाया जायेगा।

इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि संप्रेक्षण गृह के बारह वर्ष के बाल अपराधी बालकों के संवेगात्मक बुद्धि का उनके समायोजन क्षमता में कोई संबंध नहीं पाया गया। अतः हमारी परिकल्पना बारह वर्ष के बाल अपराधी बालकों के संवेगात्मक बुद्धि का उनके समायोजन क्षमता के साथ कोई सार्थक संबंध नहीं पाया गया। स्वीकृत होती है।

### 17. सुझाव

1. निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर के बाल अपराधियों के बुद्धि और उचित समायोजन के बाधित होने के विषमताओं को जानने व परंपरागत मान्यताओं को खण्डित करके उनका नैतिक रूप से, सामाजिक व कानूनी रूप से मार्गदर्शन किया जा सकता है।
2. बाल अपराधियों के निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर द्वारा उत्पन्न मनोशारीरिक दुर्बलताओं की पहचान कर उनकी समायोजन की क्षमता या योग्यता में उत्तरोत्तर वृद्धि की जा सकती है।
3. व्यक्तिगत निर्देशन और संस्थागत शिक्षा देकर निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर के बाल अपराधियों की समायोजन क्षमता में सुधार किया जा सकता है।
4. पर्यवेक्षक, अधिष्ठाता, अभिभावक संघ के माध्यम से माता-पिता एवं अभिभावकों के सहयोग को अधिक प्रभावी बनाकर बाल अपराधियों के अध्ययन के लिए बाल सुधार गृह स्तर पर उचित वातावरण सुनिश्चित किया जा सकता है।
5. उच्च व निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर के बाल अपराधियों के बीच जो विषमताएं, अंतर व असन्तुलन व्याप्त है उनको जानकर उन्हें दूर करने का प्रयास किया जा सकता है। सरकार द्वारा लागू शिक्षा को अधिकार अधिनियम-2009 जैसे नवीन कानून इन्हीं विषमताओं को दूर करने में एक सफल कदम होगा।

### 18. अनुकरणीय अध्ययन

प्रस्तुत शोध से सम्बन्धित परिणामों तथा उसके प्राप्त निष्कर्षों को आधार मानते हुए निम्नलिखित अनुसंधान क्षेत्रों में शोध कार्य करने हेतु सुझावों को लिपिबद्ध किया जा सकता है—

1. प्रस्तुत शोध रायपुर एवं दुर्ग जिले के बाल अपराधियों पर किया गया है, इसे राज्य स्तर के बाल सुधार गृहों को लेकर भी किया जा सकता है।
2. प्रस्तुत शोध केवल रायपुर एवं दुर्ग के परिप्रेक्ष्य में किया गया है, इसे वृहद स्तर पर छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में भी किया जा सकता है।
3. प्रस्तुत शोध केवल बाल अपराधी (बालकों) पर किया गया है, इसे बालिका पर भी किया जा सकता है।

### संदर्भ ग्रंथ सूची

1. Amrita & Kadiravan (2006) Influence of personality on the emotional intelligence of teacher's, Edutracks, Vol. 5(12) Pp. 25-29
2. Devi, M. Lohumi, M. & Garg, B.P. (2005) Study in reference to life satisfaction and emotional intelligence in between married and unmarried teachers. Bricks Journal of Education Research, Vol. 1, pp. 149
3. पंचागम (2012) "बाल अपराधों को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन", shodganga.inflibnet.ac.in

4. वर्मा, श्रीवास्तव पी. डी. एम. (1997) "मनोविज्ञान व शिक्षा में सांख्यिकीय", विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा
5. यादव, अजय कुमार सिंह. (2019). माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के समायोजन के सम्बन्ध का तुलनात्मक अध्ययन. जर्नल ऑफ करेंट साइंस, 20(3), 268–270.
6. यादव, अजय कुमार सिंह (2019), माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि एवं समायोजन के सम्बन्ध का तुलनात्मक अध्ययन. अप्रकाशित शोध प्रबंध, शिक्षाशास्त्र विभाग, वाराणसी : सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय।
7. सिंह, पवन कुमार (2019). छात्रों की शैक्षिक सम्प्राप्ति पर संवेगात्मक बुद्धि का प्रभाव. जिज्ञासा : ऐन इण्टरडिसिप्लिनरी पीयर रिव्यूड रेफ्रीड रिसर्च जर्नल, 12 (6), 785–795.

माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की तार्किक क्षमता पर अनुभवजन्य अधिगम के प्रभाव का अध्ययन रायपुर  
जिले के संदर्भ में

\*डॉ. स्वाति श्रीवास्तव, सहा. प्राध्यापिका (शिक्षा संकाय), प्रगति महाविद्यालय, चौबे कालानी, रायपुर (छ.ग.)

\*\*राखी महोबिया, एम.एड. (प्रशिक्षार्थी), प्रगति महाविद्यालय, चौबे कालानी रायपुर (छ.ग.)

सारांश

तर्क चिन्तन की सर्वोत्कृष्ट अवस्था है। इसकी स्थिति मस्तिष्क के सुसंगठित होने पर आती है। बाल्यावस्था में बालकों का मस्तिष्क सुसंगठित नहीं होता अतः वह तर्क करने में अक्षम होते हैं। उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में तार्किक क्षमता विकसित हो जाती है। प्रत्येक छात्र में तर्क शक्ति विद्यमान रहती है। अन्तर केवल इतना होता है कि किसी में यह कम होती है और किसी में ज्यादा। जिन छात्रों में तार्किक योग्यता ज्यादा होती है वे अन्य छात्रों की अपेक्षा कठिन समस्याओं को शीघ्रता से हल कर लेते हैं। प्रायः ऐसा देखने में आता है कि ऐसे छात्र किसी क्षेत्र में आने वाली समस्या को भी हल कर दिया करते हैं। ऐसा उनकी उच्च तार्किक योग्यता के कारण सम्भव हो पाता है।

अनुभवात्मक अधिगम का मूल सिद्धांत डेवी (1938) के कार्य में निहित है, ज्ञान और कौशल का अनुभव के साथ अंतःक्रिया अधिगम की कुंजी है। विद्यार्थी बंद कमरे में पढ़ने या सीखने से नहीं बल्कि अनुभव के दरवाजे और खिड़कियां खोलकर सबसे अच्छा सीखते हैं। प्रायोगिक शिक्षण एक शिक्षण पद्धति है जो पाठ्यक्रम सामग्री को बेहतर ढंग से समझने और अमूर्त अवधारणाओं के सीखने को बढ़ाने के लिए सार्थक व्यावहारिक अनुभव का उपयोग करती है। लोगों और मुद्दों के साथ सीधे जुड़ाव के माध्यम से, छात्र अपने ज्ञान को वास्तविक जीवन की स्थितियों में लागू करना सीखते हैं। क्षेत्र के अनुभव के माध्यम से, छात्र इन समुदायों के भीतर सीधे काम करके विभिन्न सामाजिक और व्यावसायिक संस्कृतियों के बारे में सीखते हैं। सक्रिय प्रतिभागियों के रूप में, छात्र अपने ज्ञान, विचारों और दृष्टिकोणों को साइट पर समुदाय के सदस्यों और उनके सहपाठियों के साथ साझा करेंगे।

प्रस्तुत अध्ययन कार्य हेतु "प्रयोगात्मक विधि" का प्रयोग किया गया है। रायपुर शहर के चयनित 8 शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में से 187 विद्यार्थियों का चयन प्रस्तुत अध्ययन की जनसंख्या के रूप में किया है। न्यादर्श विधि के अंतर्गत यादृच्छिक (RANDOM SAMPLING) न्यादर्श का चयन किया गया है। सांख्यिकीय विश्लेषण हेतु मध्यमान, प्रमाणिक विचलन एवं कांतिक अनुपात सांख्यिकीय सूत्रों का प्रयोग किया गया। परिणाम में देखा गया कि तार्किक क्षमता पर अनुभवजन्य अधिगम का कोई प्रभाव नहीं पाया गया।

1. भूमिका

शिक्षा और समाज के बीच बालक या मानव एक चैतन्य शक्ति के रूप में कार्य करता है। शिक्षा प्रक्रिया है, मनुष्य निवेश है और समाज उत्पाद है। मनुष्य का सामाजिक निर्माण तभी सम्भव है जब उसकी शक्ति, क्षमता, योग्यता को शिक्षा में पहचाना जाये। छात्र की या बालक की मानसिक योग्यता या क्षमता को तभी पहचाना जा सकता है जब उसकी वैचारिक प्रक्रिया को हम समझ सकें। वैचारिक प्रक्रिया में तर्क, सृजन, चिन्तन, विश्लेषण आदि सबका स्थान है। शोधकर्ता ने इसी सन्दर्भ में उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की वैचारिक प्रक्रिया को समझने का प्रयास किया है। इसमें यह जानने का प्रयास भी किया है कि क्या वैचारिक प्रक्रिया के सभी तत्व आपस में एक साथ जुड़े हैं या किसी एक तत्व की कमी से दूसरा भी प्रभावित हो सकता है? क्या वैयक्तिक भिन्नता भी इन तत्वों को प्रभावित करती है? इसलिए शोधकर्ता अपने शोध का औचित्य और उसके महत्व को समझते हुए इस दिशा में शोध का निश्चय किया। उसने विज्ञान वर्ग

के विद्यार्थियों की मानसिक योग्यता, सृजनशीलता तथा तार्किक योग्यता से सम्बन्धित चरों को अपने अध्ययन के मुख्य विषय के रूप में चयन किया।

जब मनुष्य के सामने कोई कार्य प्रस्तुत होता है तो वह उसे हल करने के विभिन्न तौर-तरीकों पर विचार करता है तथा उसे उनमें से किसी एक सर्वश्रेष्ठ तरीके को चुनना होता है। जो उसके कार्य को सरलता एवं सुगमता से सम्पादित कर सके। इस निर्धारण के लिए व्यक्ति को स्वविवेक एवं चिंतन की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया में वह तर्क का सहारा लेता है तथा किसी एक विशेष तरीके के पक्ष में तर्क देते हुए बाकी को छोड़ने पर विचार करता है। यहीं पर उसकी मानसिक योग्यता की परख होती है। यदि उसके अपनाये हुए तरीकों से कार्य बिना किसी बाधा के सम्पादित होता है, तो उसे तर्क की कसौटी पर खरा उतरा हुआ मानते हैं तथा उसकी मानसिक योग्यता उच्च स्तर की होती है।

मानव जीवन में तर्क शक्ति का महत्व तथा उपयोगिता निर्विवाद रूप से सर्वस्वीकृत है। तार्किक चिन्तन के द्वारा ही व्यक्ति अपने उद्देश्यों के प्रति मितव्ययी, प्रभावी तथा सहज ढंग से करने में समर्थ होता है। यही कारण है कि शिक्षा प्रक्रिया में तर्क को अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। अध्यापक से यह अपेक्षा की जाती है कि वे बालकों की तर्क शक्ति का अधिकाधिक विकास करने का प्रयास करें। विचार – विमर्श, वाद-विवाद, खोज, प्रयोग, अनुसंधान आदि तार्किक चिन्तन को प्रोत्साहित करते हैं। अतः बालकों को इस प्रकार के क्रियाकलाप में भाग लेने के अधिक से अधिक अवसर प्रदान किये जाने चाहिए। एकाग्रता, संलग्नता, आत्मनिर्भरता, निरीक्षण क्षमता आदि के अभाव में तार्किक चिन्तन सम्भव नहीं हो सकता है। अतः अध्यापकों को बालकों में इन गुणों को विकसित करने का भी यथा सम्भव प्रयास करना चाहिए। संकुचित पूर्व धारणा, पूर्व निर्णय अथवा पूर्व द्वेष प्रायः तार्किक चिन्तन में बाधक होते हैं। अतः अध्यापकों को इनके दुष्परिणामों से भी बालकों को भलीभाँति अवगत कराकर इनके प्रभाव को कम कराना चाहिए तथा आगमन, निगमन तथा वैज्ञानिक तर्क विधि का प्रयोग करके तार्किक चिन्तन करने के लिए बालकों को अधिकाधिक प्रेरित करना चाहिए।

तार्किक योग्यता शब्दावली को स्पष्ट करने हेतु विद्वानों ने भिन्न-भिन्न ढंग से परिभाषित किया है :-  
**बर्नार्ड** के अनुसार – “तर्क वह प्रक्रिया है जो प्रतिक्रिया को तब तक स्थगित रखती है जब तक कि समस्या से सम्बन्धित आँकड़ें इस प्रकार से व्यवस्थित न हो जायें कि निर्धारित लक्ष्य प्राप्त हो सके।”

स्कनर के अनुसार – “कार्य तथा कारण सम्बन्धों की मानसिक पहचान का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त किये जाने वाला शब्द तर्क है।”

इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि तर्क चिन्तन की प्रक्रिया है। तर्क द्वारा अर्जित प्रत्ययों का उपयोग समस्या के समाधान हेतु किया जाता है। उपर्युक्त परिभाषाओं से शोधकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि तार्किक योग्यता का सम्बन्ध व्यक्ति के विभिन्न अर्न्तद्वन्द्वों को एक निर्णयात्मक स्थिति में ले जाने से है। इसे संश्लेषण, विश्लेषण, औचित्य, अनौचित्य की भी योग्यता कह सकते हैं। तर्क में संतुलन स्थापित करने का गुण भी होता है। जब कभी एक जैसे अनेक सत्यों के प्रतीक उपस्थित हो जाते हैं और उनमें वास्तविक सत्य की पहचान करनी हो तो तर्क का ही सहारा लिया जाता है। प्राचीन वैदिक काल में विविध दर्शनों की शिक्षा दी जाती थी, उनमें तर्क शास्त्र भी एक था जिसे न्याय दर्शन भी कह सकते हैं। वैज्ञानिक अपने सिद्धान्तों की स्थापना में तर्क का सहयोग लेते हैं। तर्क की शक्ति ही आने वाली सम्भावनाओं का संकेत करती है।

अनुभवात्मक शब्द का अनिवार्य रूप से अर्थ है कि सीखने और विकास को व्यक्तिगत रूप से निर्धारित अनुभव और भागीदारी के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, न कि प्राप्त शिक्षण या प्रशिक्षण के बजाय, आमतौर पर एक समूह में, अवलोकन, सिद्धांत या परिकल्पना के अध्ययन या कौशल या ज्ञान के किसी अन्य हस्तांतरण द्वारा।

अनुभवात्मक अधिगम अकादमिक अधिगम से भिन्न है, प्रत्यक्ष अनुभव की आवश्यकता के बिना किसी विषय के अध्ययन के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया। जबकि अनुभवात्मक अधिगम का आयाम विश्लेषण, पहल और विसर्जन है, शैक्षिक अधिगम के आयाम रचनात्मक अधिगम और प्रजनन अधिगम हैं। यद्यपि दोनों विधियों का उद्देश्य शिक्षार्थी में नए ज्ञान को विकसित करना है, शैक्षणिक अधिगम अधिक अमूर्त, कक्षा आधारित तकनीकों के माध्यम से ऐसा करता है, जहां अनुभवात्मक अधिगम में शिक्षार्थी को एक ठोस अनुभव में सक्रिय रूप से शामिल किया जाता है।

अनुभवात्मक अधिगम को ऐसे अधिगम के रूप में वर्णित किया जा सकता है जो अनुभवों पर प्रतिबिंब से उत्पन्न होता है, जिससे इस प्रतिबिंब से उत्पन्न होने वाली परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए उद्देश्यपूर्ण कार्रवाई होती है। बदले में यह क्रिया आगे के अनुभव और प्रतिबिंब की ओर ले जाती है, ताकि अनुभवात्मक अधिगम को एक सतत चक्र के रूप में देखा जा सके। सीखने के इस दृष्टिकोण को दो कारणों से 'अनुभवात्मक' कहा जाता है—

अनुभवात्मक अधिगम आगमनात्मक, शिक्षार्थी केंद्र और गतिविधि उन्मुख है। एक अनुभव के बारे में व्यक्तिगत प्रतिबिंब और अन्य संदर्भों में सीखने को लागू करने के लिए योजनाओं का निर्माण प्रभावी अनुभवात्मक सीखने में महत्वपूर्ण कारक हैं। अनुभवात्मक अधिगम में जोर प्रक्रिया पर है न कि उत्पाद पर।

डेवी (1938) के अनुसार, सभी वास्तविक शिक्षा अनुभव के माध्यम से आती है: इसका मतलब यह नहीं है कि सभी अनुभव वास्तव में या समान रूप से शिक्षाप्रद हैं। अकादमिक सिद्ध अनुभवात्मक अधिगम बहु-बुद्धि की अवधारणा को भी लागू करता है – यह तथ्य कि लोगों को शीतन रूपयेश तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए और प्राथमिक रूप से पढ़ने और लिखने पर आधारित शिक्षण की एक विधि। अनुभवात्मक अधिगम प्राप्त वातानुकूलित प्रशिक्षण और शिक्षण प्रथाओं से बाहर निकलने का एक तरीका है जो स्कूलों और काम में लोगों के विकास को बाधित करता है।

## 2. अध्ययन का महत्व

आज के आधुनिक युग में सृजनात्मकता एवं तार्किक चिंतन प्रवृत्ति व्यक्ति की प्रमुख प्रवृत्ति है जो उसे प्रतिभा सम्पन्न बनाती है। इसकी सहायता से मनुष्य नवाचारों से अवगत होता है तथा ये नवाचार मनुष्य की तत्कालीन भौतिक सम्पन्नताओं में वृद्धि करते हैं एवं राष्ट्र विकास की तरफ अग्रसर होता है। अतः यदि हम इन योग्यताओं का निर्धारण विद्यार्थियों के विभिन्न वर्गों के अनुसार कर सके तो विद्यार्थियों की योग्यता का उपयुक्तता के आधार पर चयन कर विषिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति में लगाया जा सकता है। वर्तमान समय में मानव जीवन में उनके परिवर्तन आ रहे हैं। प्रत्येक कदम पर छात्र-छात्राओं को नवीन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन परिस्थितियों का सामना छात्र तभी कर पायेंगे, जब उनमें सृजनशीलता, तार्किक योग्यता, एवं उच्च स्तर की मानसिक योग्यता हो।

उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की आयु ऐसी होती है जिनमें सृजनात्मकता का स्तर अच्छा होता है परन्तु इस वर्ग के विद्यार्थी किशोरवय के होते हैं जिनके अपने पथ से भ्रमित होने की आशंका ज्यादा रहती है। उसमें भी विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों में तो सृजनात्मकता का विशेष महत्व होता है क्योंकि विज्ञान में नयी-नयी चीजों का आविष्कार होता रहता है। उसमें सृजनात्मकता महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। विद्यार्थियों को अच्छा वातावरण प्रदान किया जायें जिसमें विद्यार्थियों को सृजनात्मक चिंतन के पर्याप्त अवसर प्रदान किये जायें। समय-समय पर ऐसे विज्ञान मेलों व विज्ञान-प्रदर्शनियों का आयोजन विद्यालयों में किया जायें जिससे विद्यार्थी सृजनात्मक चिंतन की ओर उन्मुख हो सके तथा उनकी सृजनात्मकता का विकास उचित तरीके से हो सके।

## 3. संबंधित शोध साहित्य

### 3.1. भारत में किए गए शोध अध्ययन।

गुप्ता, सुबोध बाला (2009) ने "उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों की तार्किक योग्यता के सन्दर्भ में सांवेगात्मक बुद्धि" विषय पर पी-एच. डी. स्तरीय शोध किया। इन्होंने अपने अध्ययन में निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले— 1. तार्किक योग्यता एवं संवेगात्मक बुद्धि में एक धनात्मक सहसम्बन्ध पाया गया। 2. छात्र एवं छात्राओं की संवेगात्मक बुद्धि में कोई सार्थक अन्तर नहीं था। 3. छात्र एवं छात्राओं की तार्किक योग्यता में कोई सार्थक अन्तर नहीं था।

बोकार्ड, सेम (2009) ने "तार्किकता एवं कक्षा स्तर" विषय पर पीएच.डी. स्तरीय शोध कार्य किया और शोध के निष्कर्ष में कक्षास्तर बढ़ने के साथ तार्किकता में धनात्मक सहसम्बन्ध पाया गया अर्थात् कक्षा वृद्धि के साथ-साथ तर्क शक्ति का विकास होता चला जाता है।

ढिल्लो (2008) अनुभवात्मक अधिगम पर आधारित एक भावी उद्यमिता प्रशिक्षण मॉडल प्रस्तुत करता है जो छोटे व्यवसाय के मालिकों या उद्यमियों के 'उत्पादन' को सक्षम करेगा जो कि वर्तमान तरीकों, डिजाइन/दृष्टिकोण द्वारा हासिल नहीं किया जा रहा है। यह एक ऐसा मॉडल प्रदान करता है जो अनुभवात्मक को एकीकृत करता है। उद्यमिता शिक्षा में सीखना। यह दिखाता है कि उपयुक्त अनुभवात्मक प्रशिक्षण वास्तव में अफ्रीका में उद्यमिता शिक्षा में एकीकृत किया जा सकता है जैसे कि इंजीनियरिंग या नर्सिंग जैसे विषयों में।

थॉमस (2008) को एक सूत्रधार माना जाता है कि वे जानबूझकर कार्य करते हैं जब वे इस बारे में विचार-विमर्श करते हैं कि वे क्या कर रहे हैं और अपनी कार्रवाई के लिए तर्क प्रदान कर सकते हैं। सुविधा साहित्य की समीक्षा और अनुभवात्मक शिक्षा साहित्य सुविधा प्रदान करते समय जानबूझकर और सहज प्रक्रिया दोनों के महत्व को प्रदर्शित करता है। अध्ययन ने अनुभवात्मक शिक्षा की सुविधा के लिए तैयारी में जानबूझकर और अंतर्ज्ञान दोनों पर जोर देने के महत्व की पुष्टि की।

रोन (2008) ने कक्षा से बोर्ड रूम तक सीखने के संदर्भों में निर्देशात्मक शिक्षाओं को महसूस किया जो अनुभवात्मक अधिगम प्रतिमानों के भीतर हैं। क्षेत्र की यात्रा एक शिक्षण शिक्षण है जो अनुभवात्मक अधिगम पर पोशाक है। एक निर्देशात्मक शिक्षाशास्त्र के रूप में क्षेत्र की यात्रा की प्रभावशीलता का आश्वासन दिया जाता है और क्षेत्र यात्राओं को निर्देश में शामिल करने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास प्रस्तुत किए जाते हैं।

#### 4. समस्या का कथन

"माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की तार्किक क्षमता पर अनुभवजन्य अधिगम के प्रभाव का अध्ययन" रायपुर जिले के संदर्भ में

#### 5. प्रकार्यात्मक परिभाषा

अनुभवजन्य अधिगम :- प्रस्तुत अध्ययन के संदर्भ में अनुभवजन्य अधिगम से अभिप्राय है कि अनुभव के द्वारा सीखने की प्रक्रिया अनुभवजन्य अधिगम कहलाता है।

तार्किक क्षमता :- प्रस्तुत अध्ययन में तार्किक क्षमता से अध्ययनकर्ता का अभिप्राय है कि तार्किक क्षमता किसी समस्या का समाधान करने के लिए पूर्वानुभवों को कई विधियों से पूर्णसंगठित करना है।

माध्यमिक स्तर के विद्यार्थी :- प्रस्तुत शोध के अध्ययन में छत्तीसगढ़ माध्यमिक मंडल के 8वीं कक्षा के विद्यार्थी।

#### 6. अध्ययन का उद्देश्य

- \* माध्यमिक स्तर के छात्रों के तार्किक क्षमता पर अनुभवजन्य अधिगम के प्रभाव का अध्ययन करना।
- \* माध्यमिक स्तर के छात्राओं के तार्किक क्षमता पर अनुभवजन्य अधिगम के प्रभाव का अध्ययन करना।

#### 7 अध्ययन की परिकल्पना

अतः अध्ययन को वैज्ञानिक रूप से निरीक्षित करने हेतु निम्नलिखित परिकल्पना का निर्माण किया गया।

- \* माध्यमिक स्तर के छात्रों की तार्किक क्षमता पर अनुभवजन्य अधिगम का कोई प्रभाव नहीं पाया जाएगा।
- \* माध्यमिक स्तर के छात्रों की तार्किक क्षमता पर अनुभवजन्य अधिगम का कोई प्रभाव नहीं पाया जाएगा।

#### 8. अध्ययन की परिसीमा

- \* प्रस्तुत शोध केवल रायपुर शहर तक सीमित रहेगा।
- \* प्रस्तुत शोध के लिए माध्यमिक स्तर के कक्षा आठवीं के विद्यार्थियों का चयन किया गया है।
- \* प्रस्तुत शोध के लिए सिर्फ छत्तीसगढ़ माध्यमिक मण्डल के विद्यार्थियों का चयन किया गया है।
- \* प्रस्तुत शोध के लिए 100 विद्यार्थियों का चयन किया गया है। जिसमें 50 छात्र एवं 50 छात्राएं को शामिल किया गया है।

#### 9. शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध कार्य हेतु "प्रयोगात्मक विधि" का प्रयोग किया गया है।

#### 10. जनसंख्या

विद्यार्थियों का चयन :- प्रस्तुत लघु शोध में रायपुर शहर के चयनित 8 शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में से 187 विद्यार्थियों का चयन प्रस्तुत अध्ययन की जनसंख्या के रूप में किया है।

#### 11. न्यादर्श

प्रस्तुत लघु शोध प्रबंध के शोध कार्य हेतु न्यादर्श विधि के अंतर्गत यादृच्छिक (RANDOM SAMPLING) न्यादर्श का चयन किया गया है।

#### सारणी क्रमांक 1 चयनित न्यादर्श की संख्या

क्रं.	रायपुर शहर के चयनित शा.प्रा. शालाओं के नाम	विद्यार्थियों की संख्या		कुल योग
		बालक	बालिका	
1.	शा.मा.शाला लालपुर (एम.एम.आई)	10	10	20
2.	शा.मा.शाला संजय नगर	10	10	20
3.	शा.मा.शाला संतोषी नगर	10	10	20
4.	शा.मा.शाला श्याम नगर	10	10	20
5.	शा.मा.शाला फुण्डर	10	10	20
	योग	80	80	160

#### 12 चर

- (क) स्वतंत्र चर – अनुभवजन्य अधिगम
- (ख) आश्रित चर – तार्किक क्षमता

#### 13. उपकरण

प्रस्तुत लघुशोध में प्रश्नावली विधि का उपयोग किया गया है। प्रस्तुत लघुशोध प्रबंध में उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखकर आंकड़े एकत्रित करने के लिए पूर्व निर्मित उपकरण का उपयोग किया गया है।

#### 14. सांख्यिकीय विश्लेषण

सांख्यिकीय विश्लेषण हेतु मध्यमान, प्रमाणिक विचलन एवं क्रांतिक अनुपात सांख्यिकीय सूत्रों का प्रयोग किया गया।

#### 15 परिकल्पना का प्रमापीकरण एवं परिणाम परिकल्पना क्रमांक 1

\* माध्यमिक स्तर के छात्रों की तार्किक क्षमता पर अनुभवजन्य अधिगम का कोई प्रभाव नहीं पाया जाएगा।

#### सारणी क्रमांक 4.1

माध्यमिक स्तर के छात्रों की तार्किक क्षमता पर अनुभवजन्य अधिगम का चर, संख्या, मध्यमान, प्रमाप विचलन, क्रांतिक अनुपात एवं सार्थकता दर्शाने वाली सारणी

चर	संख्या	मध्यमान	प्रमाप विचलन	क्रांतिक अनुपात	सार्थक / सार्थक नहीं
अनुभवजन्य अधिगम	25	36.43	9.12	1.22	.05 स्तर पर सार्थक अंतर नहीं पाया गया
तार्किक क्षमता	25	33.93	7.20		

व्याख्या :-

सारणी क्रमांक 4.1 से स्पष्ट है कि माध्यमिक स्तर के छात्रों की अनुभवजन्य अधिगम पर प्रभाव का मध्यमान 36.43 तथा प्रमाणिक विचलन 9.12 प्राप्त हुआ है, एवं छात्रों की तार्किक क्षमता का मध्यमान 33.93 तथा प्रमाणिक विचलन 7.20 पाया गया है एवं दोनों के मध्य t मूल्य की गणना की गई जो 1.22 प्राप्त हुआ है जो कि सार्थकता स्तर 0.01 के तालिका मूल्य 2.66 से कम हैं जो कि स्वतंत्रता अंश 48 पर सार्थक अंतर नहीं दर्शाता है, अतः शोधकर्ता का परिकल्पना स्वीकृत होता है।

अतः हमारी परिकल्पना 1 माध्यमिक स्तर के छात्रों की तार्किक क्षमता पर अनुभवजन्य अधिगम का कोई प्रभाव नहीं पाया जाएगा। स्वीकृत होती है।

#### परिकल्पना क्रमांक 2

\* माध्यमिक स्तर के छात्रों की तार्किक क्षमता पर अनुभवजन्य अधिगम का कोई प्रभाव नहीं पाया जाएगा।

#### सारणी क्रमांक 4.2

माध्यमिक स्तर के छात्रों की तार्किक क्षमता पर अनुभवजन्य अधिगम का चर, संख्या, मध्यमान, प्रमाप विचलन, क्रांतिक अनुपात एवं सार्थकता दर्शाने वाली सारणी

चर	संख्या	मध्यमान	प्रमाप विचलन	क्रांतिक अनुपात	सार्थक / सार्थक नहीं
अनुभवजन्य अधिगम	25	36.8	9.66	0.33	.05 स्तर पर सार्थक अंतर नहीं पाया गया
तार्किक क्षमता	25	35.96	10.70		

व्याख्या :-

सारणी क्रमांक 4.2 से स्पष्ट है कि माध्यमिक स्तर के छात्रों की अनुभवजन्य अधिगम पर प्रभाव का मध्यमान 36.8 तथा प्रमाणिक विचलन 9.66 प्राप्त हुआ है, एवं छात्रों की तार्किक क्षमता का मध्यमान 35.96 तथा प्रमाणिक विचलन 10.70 पाया गया है एवं दोनों के मध्य t मूल्य की गणना की गई जो 0.33

प्राप्त हुआ है जो कि सार्थकता स्तर 0.01 के तालिका मूल्य 2.66 से कम हैं जो कि स्वतंत्रता अंश 48 पर सार्थक अंतर नहीं दर्शाता है, अतः शोधकर्ता का परिकल्पना स्वीकृत होता है।

अतः हमारी परिकल्पना 2 माध्यमिक स्तर के छात्रों की तार्किक क्षमता पर अनुभवजन्य अधिगम का कोई प्रभाव नहीं पाया जाएगा। स्वीकृत होती है।

#### 16 निष्कर्ष

##### परिकल्पना क्रमांक 1

\* माध्यमिक स्तर के छात्रों की तार्किक क्षमता पर अनुभवजन्य अधिगम का कोई प्रभाव नहीं पाया जाएगा।

अतः हमारी परिकल्पना 1 माध्यमिक स्तर के छात्रों की तार्किक क्षमता पर अनुभवजन्य अधिगम का कोई प्रभाव नहीं पाया गया। स्वीकृत होती है।

##### परिकल्पना क्रमांक 2

\* माध्यमिक स्तर के छात्रों की तार्किक क्षमता पर अनुभवजन्य अधिगम का कोई प्रभाव नहीं पाया जाएगा।

अतः हमारी परिकल्पना 2 माध्यमिक स्तर के छात्रों की तार्किक क्षमता पर अनुभवजन्य अधिगम का कोई प्रभाव नहीं पाया गया। स्वीकृत होती है।

#### 17. सुझाव

1. छात्र प्राप्त ज्ञान का अधिकाधिक अभ्यास करें, इससे उनके विचारों में प्रवाहशीलता आयेगी।
2. छात्र प्राप्त ज्ञान का अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करें, इससे उनका अनुप्रयोग पक्ष मजबूत होगा।
3. आगमन-निगमन विधि से अध्ययन करें ताकि प्राप्त ज्ञान ज्यादा स्थायी हो सके एवं उनमें तार्किकता का विकास हो सके।
4. शिक्षक कक्षा-कक्ष में ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करें जिससे छात्रों को चिन्तन करने का अधिक से अधिक अवसर मिल सके इससे उनकी मानसिक योग्यता में वृद्धि होगी।
5. शिक्षक को शिक्षक-छात्र सम्बन्ध इस प्रकार से रखना चाहिए ताकि छात्र को अपनी बात शिक्षक के सामने रखने में किसी भी तरह का संकोच या झिझक का सामना न करना पड़े इससे छात्रों के विचारों में प्रवाहशीलता का समावेश हो सकता है।

#### 18. अनुकरणीय अध्ययन

1. "उच्च माध्यमिक स्तर के कला एवं वाणिज्य वर्ग के विद्यार्थियों की अनुभवात्मक अधिगम एवं तार्किक योग्यता का अध्ययन" विषय लेकर शोध कार्य किया जा सकता है।
2. "माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की वैज्ञानिक सृजनात्मकता, वैज्ञानिक रुचि एवं वैज्ञानिक अभिवृत्ति का अध्ययन" शीर्षक पर शोध किया जा सकता है।
3. "माध्यमिक स्तर के विविध प्रकार के विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की वैज्ञानिक अभिक्षमता, वैज्ञानिक सोच का तुलनात्मक अध्ययन" शीर्षक पर शोध किया जा सकता है।
4. "पी.सी.एम. एवं पी.सी.बी. वर्ग के विद्यार्थियों की वैज्ञानिक सृजनात्मकता पर मल्टीमीडिया द्वारा पढाये जाने वाले प्रभाव का अध्ययन" शीर्षक पर शोध किया जा सकता है।
5. "पी.सी.एम. एवं पी.सी.बी. वर्ग के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर वैज्ञानिक विधियों द्वारा किये जाने वाले शिक्षण के प्रभाव का अध्ययन" शीर्षक पर शोध किया जा सकता है।

#### संदर्भ ग्रंथ सूची

1. एजाज, मसीह (1998) 'न्यू ट्रेण्ड्स इन साइन्स करीकुलम', नई दिल्ली : मानक पब्लिकेशन

2. ओबराय, डॉ. एस. सी. (1993) 'षिक्षण अधिगम के मूल तत्व', नई दिल्ली: आर्य बुक डिपो करोल बाग
3. कपिल, एच. के. (1975) 'सांख्यिकी के मूल तत्व', आगरा : विनोद पुस्तक मन्दिर
4. कोहली, डॉ. वी. के. (1983) 'विज्ञान कैसे पढ़ाएं', अमृतसर : विवेक पब्लिकेशन्स
5. कौल, लोकेष और गुप्ता, डा. एस. पी. (1998) 'शैक्षिक अनुसंधान की कार्य प्रणाली', नई दिल्ली : विकास पब्लिशिंग हाऊस प्रा.लि. जंगपुरा
6. गैरिट, हेनरी ई. (1996) 'षिक्षा और मनोविज्ञान में सांख्यिकी के प्रयोग' लुधियाना: कल्याणी पब्लिशर्स, राजेन्द्र नगर
7. त्रिपाठी, लालबचन एवं अन्य (1997) 'मनोवैज्ञानिक अनुसंधान पद्धतियाँ' आगरा : हर प्रसाद भार्गव पुस्तक प्रकाषक कचहरी घाट

कक्षा 11वीं सी.जी.बी.एस.ई. के विद्यार्थियों की तार्किक क्षमता पर सोशल मीडिया के प्रभाव का अध्ययन

\* डॉ. स्वाति श्रीवास्तव सहा. प्राध्यापिका (शिक्षा संकाय) प्रगति महाविद्यालय, चौबे कालानी, रायपुर (छ.ग.)

\*\* रश्मि वर्मा एम.एड. (प्रशिक्षार्थी)

### सारांश

शिक्षा के द्वारा व्यक्ति का बौद्धिक सामाजिक तथा अध्यात्मिक विकास होता है। जिससे व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन तथा परिवर्धन आती है। साथ ही वे अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन कर पाते हैं, अपना आत्मविश्वास बढ़ा पाता जिससे कठिन से कठिन कार्य को कर पानेमें तत्पर होत है। शिक्षा के द्वारा ही अपने आप को साबित कर पाता है। और समाज का प्रतिनिधित्व करने में अपनी भागीदारी निभा पाता है। सोशल मीडिया के माध्यम से विद्यार्थी अपनी तार्किक क्षमता का विस्तार कर अपने ज्ञान का प्रसार कर पाते हैं। इसका प्रयोग कर विभिन्न प्रकार की जानकारी जुटा पाते हैं अपने शिक्षण प्रक्रिया प्रबल बनाकर तर्क क्षमता बढ़ाते हैं। प्रस्तुत अध्ययन में न्यादर्श के चयन में यादृच्छिक न्यादर्श विधि का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत शोध अध्ययन में सांख्यिकीय विश्लेषण हेतु मध्यमान, मानक विचलन तथा कांतिक अनुपात का प्रयोग किया गया है। परिणाम में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्रों की सोशल मीडिया का तार्किक क्षमता एवं शासकीय उच्चतर माध्यमिक की छात्राओं में सार्थक अंतर पाया गया है।

### 1. भूमिका

शिक्षा शब्द अपने आप में सीखने की प्रक्रिया है। व्यापक अर्थ में शिक्षा किसी समाज ने निरन्तर चलने वाली उद्देश्य पूर्ण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य की जनमजात शक्तियों का विकास होता है। उसके ज्ञान व कौशल में वृद्धि एवं एवं शिक्षा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाता है। इस प्रकार शिक्षा के द्वारा सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है।

शिक्षा मनुष्य के विकास की पूर्णता की अङ्गिव्यक्ति है शिक्षा के द्वारा ही अनिश्चिताओं पर सार्थक नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। शिक्षा को शब्द संग्रह अथवा शब्द समूह की स्मृति में न देखकर विभिन्न शक्तियों के विकास के यप में देखा जाना चाहिए। शिक्षा व्यक्तियों का निर्माण करती है। चरित्र को उत्कृष्ट बनाती है।

शिक्षा समाज में एक पीढ़ी द्वारा दूसरे पीढ़ी को अपने ज्ञान के हस्तांतरण का प्रयास करता है। शिक्षा एक संस्था के रूप में काम करती है। जो व्यक्ति विशेष को समाज से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। साथ ही शिक्षा सामज की संस्कृति व सभ्यताओं की निरन्तरता को बनाए रखती है। विद्यार्थी को या देश के भावी नागरिकों को समाज के प्रतिमानों एवं मूल्यों को सीखाता है। तभी एक बालक समाज से जुड़ पाता है।

शिक्षा मानव को एक अच्छा इंसान बनाती है। शिक्षा में ज्ञान, उचित आचरण और तकनीकी दक्षता शिक्षण और विद्या प्रप्ति आदि समाविष्ट है। इस प्रकार यह कौशलों, व्यापारों या व्यवसायों एवं मानसिक नैतिक तार्किक और सौन्दर्य विषयक के उत्कर्ष पर केन्द्रित है। शिक्षा ज्ञान का एक विशाल सागर है। जिसके द्वारा मनुष्य की शक्तियों को तीव्र गति से बल मिलता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शिक्षा का सर्वमान्य उद्देश्य विद्यार्थी का सर्वांगण विकास करता है। शिक्षा मनुष्य में निहित देवत्य की पूर्णता की अङ्गिव्यक्ति है। शिक्षा मानव जीवन का आधार स्तम्भ होता है। कहने का तात्पर्य है कि शिक्षा के द्वारा ही एक मनुष्य अपने जीवन के लक्ष्यों को पूरा कर पाता है। अपने उद्देश्यों को पहचान पता है, और उसे पूरा करने में शिक्षा ही एक सहयोगी के रूप में दिशा निर्देशन देता है और अपने आप को एक योग्य व्यक्ति बनाता है।

### सोशल मिडिया

सोशल मिडिया की जड़ें आपकी हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा गहरी हैं। यद्यपि यह एक नई प्रवृत्ति की तरह लगता है, फेसबुक जैसी साइटों सोशल मीडिया के कई सदियों के विकास का स्वाभाविक परिणाम है।

### सोशल मिडिया से अभिप्राय :-

सोशल मिडिया को सोशल मिडिया सर्विस के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब है कि इंटरनेट का इस्तेमाल कर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जुड़ा। जहाँ आप एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध और उनके साथ अपने संवाद और फोटो का अदान प्रदान करते हैं।

सोशल मिडियो से आशय पारस्परिक संबंध के लिए अंतजाल या अन्य माध्यमों द्वारा निर्मित आपसी समूहों सहभागी बनाते का माध्यम है। इसका उपयोग सामाजिक संबंध के अलावा उपयोगकर्ता सामग्री के संशोधन के लिए उच्च पारस्परिक मंच बनाने के लिए मोबाइल और वेब आधारित प्रौद्योगिक के प्रयोग के रूप में देखा जा सकता है।

### तार्किक क्षमता

तार्किक क्षमता अनुभाग न्यूनतम समय में एक प्रश्न निपटने के लिए अपनी मानसिक क्षमता का परीक्षण करता है। तार्किक क्षमता सामान्य ज्ञान का परीक्षण करता है। तार्किक क्षमता एक अभिव्यक्ति क्रिया है जिसका प्रकटीकरण समस्या समाधान व्यवहार से होता है। तर्क के द्वारा समस्या के प्रति रुचि जागृत होती है। सामान्य जीवन में तर्क क्षमता का प्रयोग स्वाभाविक रूप से होता रहता है। इसने हमें किसी भी अतिरिक्त शक्ति का प्रयोग नहीं करना पड़ता है। इसलिए इसे उच्च मानसिक क्रिया कहा जाता है। परीक्षा के समय तर्क के माध्यम से ही प्रश्नों के उत्तर देकर परीक्षा देते हैं। ताकि अच्छे अंक प्राप्त हो। अतः तर्क प्रक्रिया है, जो उपस्थित समस्या के लिये उपयुक्त हल प्रस्तुत करते हैं ताकि समस्या का हल शीघ्र प्राप्त हो जाये।

गैरेट के अनुसार :- “मन में किसी उद्देश्य एवं लक्ष्य को रखकर क्रमानुसार चिन्तन करना तर्क है।”

बुडवर्थ के शब्दों में :- “तर्क में (तथ्यों एवं सिद्धांतों) जो स्मृति या वर्तमान निरीक्षण द्वारा प्राप्त होते हैं को परस्पर मिलाया जाता है फिर उस मिश्रण का परीक्षण में से निष्कर्ष निकाला जाता है।

अतः सामान्य अर्थ कह सकते हैं कि तार्किक क्षमता के द्वारा किसी भी समस्या का समाधान संभव हो पाता है। तर्क क्षमता उच्च मानसिक प्रक्रिया होती है। जो कार्य के प्रति रुचि जागृत करती है। साक्षात्कार के समय तर्क द्वारा दिये गये उत्तर अधिक स्पष्ट एवं बौद्धिक क्षमता के परिचायक होते हैं।

### 2. अध्ययन का महत्व

कक्षा 11वीं सी.जी.बी.एस.ई. के विद्यार्थियों की तार्किक क्षमता पर सोशल मीडिया के प्रभाव के अध्ययन कर उचित मार्गदर्शन किया जाए।

सकारात्मक दृष्टि से देखे तो सोशल मीडिया विद्यार्थियों को सभी तरह की विशिष्ट जानकारी मुहैया कराने में समर्थ होते हैं। जिसका प्रयोग कर छात्र अपनी जरूरतों को पूरा करता है सोशल मीडिया का प्रयोग आज प्रत्येक व्यक्ति बड़ी सरलता व सहजता से इसका प्रयोग कर रहा है, और अपने आप को अधिक एडवांस्ड बनाने का प्रयास कर रहा है। देश दुनिया की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर रहा है। विद्यार्थी केवल शिक्षा प्राप्त करने में नहीं बल्कि इसे मनोरंजन का बहुत बड़ा जरिया भी मानते हैं।

सोशल मीडिया का प्रयोग कर विद्यार्थी अपने ज्ञान को जानकारी को बढ़ाता है। वचुअल कक्षा को भी बढ़ावा मिलता है। जिससे की विषय परिस्थितियों में भी शिक्षा का आदान प्रदान किया जा सकता है।

विदेशों में ये वचुअल क्लास पहले से ही अस्तित्व में था परन्तु भारत से विकासशील देशों में इसका प्रयोग कम किया जा रहा था पर इसे कोविड-19 जैसे महामारी के परिणाम स्वरूप जहाँ लोगों का जीवन

स्थर हो चला था वहां पर सोशल मीडिया ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है एक ओर सोशल मीडिया ने अपना वर्चस्व फैलाकर लोगों को कही न कही मदद कर रही है फिर किसी भी चीजों को चाहे ओ एक समय ने कितने भी फायदे की वस्तुओं को ज्यादा प्रयोग लागों के लिए हानिकारक होता है। एक बालक या विद्यार्थी जिन्होंने अपने सोचने समझने की क्षमता कम होती है। जिसके चलते उन्हें जिसने म मजा आता वह उसी काम को बार-बार करता है। भले ही वह उसके लिए नुकसान दायक ही क्यों न हो अतः उपर्याक्त बातों को ध्यान में रखकर शोधार्थी ने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों पर सोशल मीडिया से उनके तार्किक क्षमता पर होने वाले प्रभाव पर एक अध्ययन का चयन किया है।

### 3. संबंधित शोध साहित्य

फोलेरोसो एट अल (2012) ने एबोकुता, नाइजीरिया के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के छात्रों के बीच एक सर्वेक्षण किया और निष्कर्ष निकाला कि पांच प्रमुख निर्माणों में, परीक्षण और संगतता के साथ-साथ सामाजिक नेटवर्किंग साइटों का उपयोग करने के प्रति दृष्टिकोण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा जबकि अन्य कारक, रिश्तेदार लाभ, जटिलता और अवलोकनशीलता का सोशल नेटवर्किंग साइटों के प्रति दृष्टिकोण पर महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा। अध्ययन में यह भी कहा गया है कि विश्वविद्यालय के छात्रों में एसएनएस के उपयोग के इरादे के पीछे जीवन शैली का प्रमुख कारक था।

दास एंड साहू (2012) ने सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक के उपयोगकर्ता के जीवन पर सामाजिक और व्यक्तिगत प्रभाव का गंभीर रूप से विश्लेषण किया। अध्ययन में फेसबुक के व्यक्तिगत पहलुओं को सार्वजनिक दस्तावेज में बदलने, इन साइटों पर पोस्ट की गई सामग्री से संबंधित व्यक्तिगत गोपनीयता के मुद्दों, दूसरों के लिए बात, अजनबी दोस्तों के लिए जगह, जिन्हें आप नहीं जानते, लेकिन अपने आपसी मित्रों के कारण उनके अनुरोधों को स्वीकार किया उपयोगकर्ता के व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं को गंभीर स्वास्थ्य जोखिम का सामना करना पड़ता है। जरूरतों का तत्काल संतुष्टि उनका लक्ष्य बन जाता है, उपयोगकर्ताओं ने अपने दोस्तों के साथ चैटिंग और सोशल नेटवर्किंग साइटों पर प्रोफाइलों को ब्राउज करने में घंटों बिताए। दोस्त की अपडेट, स्टेटस बदलने और दूसरों के फोटो और विडियो पर टिप्पणी करने, उपयोगकर्ता की कार्य उत्पादकता को प्रभावित करने के लिए कए दिन में कई बार खुद की प्रोफाइल पर जाना जुनूनी आदत बन जाती है। फेसबुक एडिक्शन डिसऑर्डर एक अन्य नकारात्मक प्रभाव है जो लेखक ने अध्ययन में कहा है, साइबर क्राइम अत्यधिक बढ़ रहे हैं, आभासी जीवन के कारण वास्तविक रिश्तों में विनाश। लेखक ने कहा कि फेसबुक की लत उपयोगकर्ताओं के व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को नष्ट करने की ओर अग्रसर है।

जनक एट अल (2011) ने सोशल मीडिया के माध्यम से उपभोक्ता जुड़ाव के एक मॉडल का मसौदा तैयार किया है (डब्ल्यूटीपी) भाग लेने की इच्छा के पुनः अवधारणा से संबंधित तर्क दिए। लेखकों ने सोशल मीडिया साइटों की श्रेणियों के रूप में कहा, उदाहरण के लिए साइटसेंटिक साइटें जो उपयोगकर्ता को फेसबुक, माइसपेस और बेबों डॉट कॉम जैसे आभासी प्लेटफार्मों पर अपनी पहचान प्रोफाइल का निर्माण करने की अनुमति देती हैं। सामुदायिक साइट्स वास्तविक समुदाय के रूप में आरंभ करती हैं और BigWave, Black Planet, Dogster.com जैसे समूहों के गठन की अनुमति देती हैं, अवसरवादी साइटें क्योंकि यह विभिन्न सामाजिक संगठन के उपयोगकर्ताओं को अनुमति देता है और लिंकडइन, शैक्षणिक, जैसे व्यावसायिक कनेक्शन की सुविधा देता है; उपयोगकर्ता को रुचि और शौक के आधार पर कनेक्ट करने की अनुमति देता है मीडिया शेयरिंग साइट्स, उपयोगकर्ता को फ्लिकर युट्यूब के रूप में एक दूसरे के साथ समृद्धि मीडिया सामग्री साझा करने की अनुमति देती है।

### 4. समस्या का कथन

प्रस्तुत अध्ययन हेतु शोधकर्ता ने इस समस्या का चयन किया है :-

“कक्षा 11वीं सीजीबीएसई के विद्यार्थियों की तार्किक क्षमता पर सोशल मीडिया के प्रभाव का अध्ययन” रायपुर जिले के संदर्भ में

#### 5. प्रकार्यात्मक परिभाषा

**सीजीबीएसई :-** प्रस्तुत शोध के सन्दर्भ में छा.ग. बोर्ड ऑफ सेकेन्डरी एजुकेशन के विद्यालय रायपुर जिले के शासकीय व अशासकीय विद्यालय।

**तार्किक क्षमता :-** प्रस्तुत शोध रूपरेखा के संदर्भ में रायपुर जिले के सीजीबीएसई कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों की विषय संबंध तर्क करने की क्षमता।

**सोशल मीडिया :-** प्रस्तुत शोध रूपरेखा के संदर्भ में रायपुर जिले के सीजीबीएसई कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों की फेसबुक, वाट्सअप, यूट्यूब, मौज, इंस्टाग्राम, जोश, रूपोसो के सलग्नता।

**विद्यार्थी :-** प्रस्तुत शोध रूपरेखा के संदर्भ में विद्यार्थी से तात्पर्य है छ.ग. शिक्षा मण्डल के शासकीय व अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के कक्षा 11वीं के विद्यार्थी।

#### 6. अध्ययन का उद्देश्य

3. शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों पर सोशल मीडिया का तार्किक क्षमता पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन।
4. अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों पर सोशल मीडिया का तार्किक क्षमता पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन।

#### 7. अध्ययन की परिकल्पना

1. शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों पर सोशल मीडिया का तार्किक क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पाया जायेगा।
2. अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों पर सोशल मीडिया का तार्किक क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पाया जायेगा।

#### 8. अध्ययन की परिसीमा

1. प्रस्तुत अध्ययन हेतु रायपुर जिले का चयन किया गया है।
2. प्रस्तुत शोध अध्ययन में रायपुर जिले के सीजीबीएसई के दो विद्यालयों का चयन किया गया है।
3. प्रस्तुत अध्ययन में 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों का चयन किया गया है।
4. प्रस्तुत अध्ययन में कुल 100 विद्यार्थियों का चयन किया गया है।

#### 9. शोध प्रविधि

प्रस्तुत समस्या का उद्देश्य कक्षा 11वीं सीजीबीएसई के विद्यार्थियों की तार्किक क्षमता पर सोशल मीडिया के प्रभाव का अध्ययन करना है। प्रस्तुत शोध अध्ययन के लिए सर्वेक्षण विधि का उपयोग किया गया है।

#### 10. जनसंख्या

प्रस्तुत शोध में अध्ययन के लिए रायपुर शहर के शासकीय व अशासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के कक्षा 11वीं में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं जनसंख्या का कार्य करेगें। जनसंख्या के आधार पर जो अध्ययन किये जाते हैं। वे पैरामीटर कहलाते हैं। किन्तु जो शोधार्थी के समय की कमी होती है। अतः इस कमी के कारण सम्पूर्ण जनसंख्या ने कुछ अंश का चुनाव किया जाता है। जिसमें सम्पूर्ण जनसंख्या की विशेषताएं व गुण समाहित हो।

### 11. न्यादर्श

प्रस्तुत अध्ययन में न्यादर्श के चयन में यादृच्छिक न्यादर्श विधि का प्रयोग किया गया है।

क्रमांक	विद्यालय का नाम	छात्र	छात्राएं	योग
1.	बिंदासोनकर	25	25	50
2.	गिरजा शंकर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	25	25	50
<b>कुल</b>		<b>50</b>	<b>50</b>	<b>100</b>

### 12. चर

एक चर एक वैज्ञानिक अध्ययन में ऐसी स्थिति होती है। जिसमें मात्रात्मक व गुणात्मक परिवर्तन हो सकता है।

(क) स्वतंत्र चर – सीजीबीएसई के कक्षा 11वीं के विद्यार्थी

(ख) आश्रित चर – तार्किक क्षमता का अध्ययन

### 13. उपकरण

प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु आंकड़ों को एकत्र करने के लिए स्वनिर्मित उपकरण का प्रयोग किया गया है।

### 14. सांख्यिकीय विश्लेषण

प्रस्तुत शोध अध्ययन में निम्नलिखित सांख्यिकीय प्रविधियों का प्रयोग किया गया है :-

- केन्द्रिय प्रवृत्ति का मापक – मध्यमान
- प्रसार मापक की गणना हेतु – मानक विचलन
- सार्थक अंतर के लिए – कांतिक अनुपात

### 15. परिकल्पना का प्रमापीकरण एवं परिणाम

#### परिकल्पना क्रमांक 1

शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों पर सोशल मीडिया का तार्किक क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पाया जायेगा।

#### सारणी क्रमांक 4.1

शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों पर सोशल मीडिया का तार्किक क्षमता पर प्रभाव की संख्या, माध्य, प्रमाप विचलन, t मूल्य एवं सार्थकता दर्शाने वाली सारणी

समूह	विद्यार्थियों की संख्या	माध्य	प्रमाप विचलन	t मूल्य	सार्थकता
शासकीय छात्र	25	13.27	1.46	6.82	0.05 के स्तर पर सार्थक
शासकीय छात्राएं	25	10.95	1.74		

#### व्याख्या :-

परिकल्पना की पुष्टि के लिए शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के 25 छात्र एवं 25 छात्राओं पर सोशल मीडिया का तार्किक क्षमता पर प्रभाव में प्राप्त अंको का माध्य, मानक विचलन निकाला गया। सारणी क्रमांक 4.1 के अनुसार शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्रों का माध्य 13.27 व प्रमाप विचलन 1.46 है। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्राओं का माध्य 10.95 व प्रमाप विचलन 1.74 है। विद्यार्थियों की सोशल मीडिया पर तार्किक क्षमता के प्राप्तांको का अंतर की सार्थकता के लिए t मूल्य की गणना की गयी जो 6.82 प्राप्त हुआ। गैरेट की t तालिका के अनुसार 48 df वर्ग के 0.05 स्तर के विश्वास स्तर पर सारणी मूल्य 1.98 है। जबकि विश्लेषण द्वारा प्राप्त हुआ t मूल्य का मान 6.82 है जो 0.05

स्तर पर सारणी मूल्य से अधिक है। अतः शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्रों की सोशल मीडिया का तार्किक क्षमता एवं शासकीय उच्चतर माध्यमिक की छात्राओं में सार्थक अंतर पाया गया है।

अतः परिकल्पना क्रमांक 1 शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों पर सोशल मीडिया का तार्किक क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पाया जायेगा। अस्वीकृत होती है।

#### परिकल्पना क्रमांक 2

अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों पर सोशल मीडिया का तार्किक क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पाया जायेगा।

#### सारणी क्रमांक 4.2

अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों पर सोशल मीडिया का तार्किक क्षमता पर प्रभाव की संख्या, माध्य, प्रमाप विचलन, t मूल्य एवं सार्थकता दर्शाने वाली सारणी

समूह	विद्यार्थियों की संख्या	माध्य	प्रमाप विचलन	t मूल्य	सार्थकता
अशासकीय छात्र	25	36.43	9.12	1.22	0.05 के स्तर पर सार्थक अंतर नहीं पाया गया
अशासकीय छात्राएं	25	33.93	7.20		

#### व्याख्या :-

परिकल्पना की पुष्टि के लिए अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के 25 छात्र एवं 25 छात्राओं पर सोशल मीडिया का तार्किक क्षमता पर प्रभाव में प्राप्त अंको का माध्य, मानक विचलन निकाला गया। सारणी क्रमांक 4.2 के अनुसार अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्रों का माध्य 36.43 व प्रमाप विचलन 9.12 है। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्राओं का माध्य 33.93 व प्रमाप विचलन 7.20 है। विद्यार्थियों की सोशल मीडिया पर तार्किक क्षमता के प्राप्तांको का अंतर की सार्थकता के लिए t मूल्य की गणना की गयी जो 1.22 प्राप्त हुआ। गैरेट की t तालिका के अनुसार 48 df वर्ग के 0.05 स्तर के विश्वास स्तर पर सारणी मूल्य 1.98 है। जबकि विश्लेषण द्वारा प्राप्त हुआ t मूल्य का मान 1.22 है जो 0.05 स्तर पर सारणी मूल्य से कम है। अतः शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्रों की सोशल मीडिया का तार्किक क्षमता एवं शासकीय उच्चतर माध्यमिक की छात्राओं में सार्थक अंतर नहीं पाया गया है।

अतः परिकल्पना क्रमांक 1 अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों पर सोशल मीडिया का तार्किक क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पाया जायेगा। स्वीकृत होती है।

#### 16. निष्कर्ष

##### परिकल्पना क्रमांक 1

शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों पर सोशल मीडिया का तार्किक क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पाया जायेगा। अस्वीकृत होती है।

##### परिकल्पना क्रमांक 2

अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों पर सोशल मीडिया का तार्किक क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पाया जायेगा। स्वीकृत होती है।

#### 17. सुझाव

प्रस्तुत शोध समस्या के विश्लेषण और व्याख्या से जो निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं उन्हीं निष्कर्षों के आधार पर निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किये जा सकते हैं जो विद्यार्थियों के विकास में सहायक सिद्ध होंगे –

1. सोशल मीडिया के उपयोग पर पारिवारिक और शैक्षणिक स्तर पर निगरानी रखनी चाहिए।
2. सोशल मीडिया के उपयोग को लेकर पारिवारिक और विद्यालय स्तर पर कार्यशाला का आयोजन किया जाना चाहिए।
3. किताबों के साथ विद्यार्थियों का तार्किक ज्ञान बढ़ना चाहिए।
4. पालकों को मोबाइल गेम जो कभी-कभी मनोरंजन के रूप में खेले जाते हैं। उन्हें कम समय के लिए खेलने दिया जाए क्योंकि मोबाइल गेम से लड़ने में मदद करते हैं।
5. विद्यार्थियों को समय-समय पर खेल प्रशिक्षण देकर उन्हें सोशल मीडिया के प्रति जागरूक करना चाहिए।
6. विद्यार्थियों में विभिन्न गतिविधियों को कराकर उन्हें इसके ज्यादा प्रयोग से हतोत्साहित करना चाहिए।
7. मोबाइल, नेट, लैपटॉप पर लगातार जुड़े रहने पर उसके दुष्प्रभाव से अवगत कराकर उन्हें ज्यादा इसका उपयोग करने से रोका जाए।

#### 18. अनुकरणीय अध्ययन

1. प्राथमिक विद्यार्थियों के पालकों में सोशल मीडिया के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना।
2. सभी स्तर के विद्यार्थियों पर सोशल मीडिया के प्रति चेतना एवं अभिव्यक्ति का समीक्षात्मक अध्ययन करना।
3. पूर्व माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में किशोर –किशोरियों को सोशल मीडिया के पड़ने वाले मानसिक प्रभाव का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना।
4. माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत शिक्षकों का सोशल मीडिया के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना।
5. सी.बी.एस.सी, आई.सी.एस.सी. व सी. जी. बोर्ड संस्थाओं में विद्यार्थियों को सोशल मीडिया के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना।

#### संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. आह, जम्मू (2011) किशोरों के सामाजिक और शैक्षणिक विकास पर सोशल नेटवर्किंग साइटों का प्रभाव: वर्तमान सिद्धांत और विवाद, *जर्नल आफ द अमेरिकन सोसाइटी फार इन्फार्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी*, 62: 1435–1445
2. खान, एस (2011) छात्रों पर सोशल नेटवर्किंग वेबसाइटों का प्रभाव, *Abasyn journal of social Sciences* 5:56-77
3. गग्गड़, पी. आर. "सांख्यिकी" रिसर्च पब्लिकेशन, जयपुर, नयी दिल्ली।
4. जैन एम. आर, आनंद एन.गुप्त पी (2012) सामाजिक मुद्दों पर युवाओं के बदलते माहौल में सोशल नेटवर्किंग साइट्स का प्रभाव दिल्ली-एनसीआर युवाओं का एक अध्ययन, *जर्नल आफ आर्ट्स, साइंस एंड कामर्स*, 3: 36–43
5. वालिया, जे. एस. (2003) "शिक्षा के दार्शनिक तथा सामाजिक आधार", जालंधर शहर पाल प्रकाशन, पृष्ठ संख्या 192
6. शर्मा, आर. ए. (2006) *शिक्षा अनुसंधान*, सूर्या पब्लिकेशन, मेरठ, पृष्ठ संख्या 682
7. सरीन शषिकला, सरीन अंजनी (2012) *शैक्षिक अनुसंधान विधियां*, अग्रवाल पब्लिकेशन, आगरा

## स्वाभिमान व सबलीकरण योजनेचा अनुसूचित जमातीतील (माना जमात) शेतमजुरांवर झालेला परिणाम

डॉ. नागसेन शंभरकर  
सरदार पटेल महाविद्यालय  
चंद्रपूर  
संपर्क क्रमांक - 9850145238

सारांश :-

चंद्रपूर जिल्हा हा आदिवासी जिल्हा आहे आणि त्यामध्ये अनुसूचित जमातीच्या लोकांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर आहे. त्याचबरोबर अनुसूचित जमातीपैकी माना जमातीच्या लोकांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर आहे व माती शेतमजुरांची संख्या अधिक आहे त्यामुळे चंद्रपूर जिल्ह्यात आदिवासीसाठी राबविण्यात येणाऱ्या सर्व योजना यांनाही लागू पडत आहे व ते त्या योजनांचा काही प्रमाणात फायदा सुद्धा घेत आहेत. त्यामुळे भूमिहीन शेतमजूर आदिवासी कुटूंबासाठी राबविण्यात आलेली स्वाभिमान व सबलीकरण योजना चंद्रपूर जिल्ह्यातही राबविण्यात आली आहे

स्वाभिमान व सबलीकरण योजनेचा फायदा कितपत झाला/माना समाजाच्या शेतमजुरांनी किती प्रमाणात फायदा घेतला/योजनेची अंमलबजावणी बरोबर झाली किंवा नाही?योजनेबद्दल लोकांना माहिती आहे किंवा नाही ? मानासमाजातील भूमिहीन शेतमजुरांचा समस्या व सर्वांचा अभ्यास प्रस्तुत लेखात केलेला आहे.

बिजशब्द :- भूमिहीन शेतकरी , शेतमजूर, आदिवासी जमात,माना जमातीचा अभ्यास स्वाभिमान व सबलीकरण योजना ,अंमलबजावणी

प्रस्तावना :-

भारत हा कृषीप्रधान देश आहे. आपल्या देशातील जवळपास ६५ टक्के लोकसंख्या ही प्रत्यक्षरीत्या शेती व्यवसायावर अवलंबून आहे आणि इतर लोकसंख्या प्रत्यक्षपणे शेती व्यवसायावर अवलंबून नसली तरी रोजच्या वापरात विविध शेती उत्पादनाचा प्रत्यक्षपणे वापर करित आहे म्हणजेच एकूण भारतातील संपूर्ण लोकसंख्या ही १०० टक्के प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष शेती व्यवसायावर अवलंबून आहे. भारतात विविध जाती धर्माचे लोक राहतात. शेती व्यवसायात प्रत्येक जाती धर्मातील लोकांचा समावेश आहे.

भारतातील फार प्राचीन समाज म्हणून ओळखला जातो तो म्हणजे आदिवासी समाज या समाजाने प्राचीन काळापासून देशाच्या संस्कृतीचे जतन केलेले आहे आणि आजही हा समाज नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे रक्षण करण्यासाठी झटत आहे. निसर्गावर प्रेम असलेला हा समाज सुद्धा

निसर्गाच्या सानिध्यात राहून शेती व्यवसाय करतो आहे. या समाजाला एकुणच विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याकरीता आपल्या देशाच्या संविधानाने त्यांना विशेष अधिकार प्रदान केलेले आहे. या समाजात मोडणाऱ्या वेगवेगळ्या जाती धर्माचा एक समुह बनवून त्या माध्यमातून विकासाकरीता अधिकार देण्यात आले आणि याच समुहाला 'अनुसूचित जाती' असे समझल्या जाते. याच समुहाला ७.५ टक्के राष्ट्रीय स्तरावर आरक्षण देवून त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न करण्यात आला हे आरक्षण जिथे अनुसूचित जमातीचे लोक जास्त प्रमाणात राहतात त्याठिकाणी हे आरक्षण देखील वाढीव प्रमाणात दिल्या जाते एवढं सगळं असले तरी आजही हा समाज मुख्य प्रवाहात आलेला नाही. शिक्षण असो, नौकरी असो, राजकारण असो, उद्योग असो या क्षेत्रात अजूनही हा समाज मागासलेलाच आहे. या समाजाकडे काही प्रमाणात शेती आहे पण जास्तीत जास्त समाज हा शेतमजूर म्हणूनच कार्य करीत आहे. शेतमजूर म्हणून कार्य करीत असलेला हा समाज अनेक समस्यांच्या विळख्यात सापडलेला आहे. या समाजातील काही लोकांनी आरक्षणाचा फायदा घेवून आपली प्रगती केलेली आहे पण त्यांची संख्या फार नगण्य आहे.

#### आदिवासी शेतमजूरांसमोरील समस्या

आदिवासी समाज हा एकतर अल्पभुधारक आहे किंवा शेतमजूर आहे मोठे शेतकरी या समाजात फार कमी आहेत त्यामुळे आपण म्हणू शकतो की, अनुसूचित जमातीतील बहुसंख्य समाज हा शेतमजूर आहे म्हणजेच एकुणच ज्या आदिवासींच्या समस्या आहेत त्यांच शेतमजूराच्या समस्या समणल्या जातात. काही प्रमुख समस्या पुढीलप्रमाणे आहे

१. दारिद्र्य आणि कर्जबाजारीपणा
२. अनारोग्य आणि कुपोषण
३. निरक्षरता
४. वेठबिगारी
५. स्थलांतरीत शेती
६. जंगल आणि आदिवासी जमिनीपासून अलगतता
७. दुर्गम भागात राहत असल्याने शिक्षण घेण्यास अचडणी
८. मुलीचे लैंगिक शोषण

महाराष्ट्रात एकुण अनुसूचित जमातीमध्ये ४७ प्रकारच्या मुख्य जमातीचा समावेश होतो त्यामध्ये अनेक उपजातींचा समावेश आहे. त्यामधीलच एक जमात म्हणजे 'माना जमात आदिवासी जमातीची सर्व समस्या या माना जमातीला सुध्दा लागू होतात. ही जमात बाकी

इतर जमातीपैकी एक प्रगत जमात म्हणून ओळखल्या जाते पण यामध्ये सुध्दा यांच्या लोकसंख्येचा मोठा हिस्सा हा शेतमजूर आहे आणि त्याच्यापुढेही अनेक समस्या आहेत.

आदिवासी शेतमजूरांच्या समस्या सोडविण्याकरीता सरकारतर्फे अनेक योजना आणल्या गेल्या पण सरकारच्या म्हणा किंवा नोकरदारांच्या उदासीनतेमुळे त्यांची अंमलबजावणी फारशी झालेली दिसून येत नाही काही महत्वाच्या योजनांची माहिती पुढीलप्रमाणे आहे.

१. भूमीहीन अनुसूचित जमातीच्या शेतमजूर कुटूंबासाठी स्वाभीमान व सबलीकरण योजना
२. शासकीय वसतीगृह आश्रमशाळा
३. कन्यादान योजना
४. अपघात विमा योजना
५. व्यावसायिक अभ्यासक्रम विद्यार्थी निर्वाह भत्ता
६. विशेष केंद्रीय सहाय्य योजना
७. सावटी कर्ज योजना

यासारख्या अनेक योजना राबविण्यात आलेल्या आहेत. त्यापैकी प्रशेतमजूरांवर इतर जातीतील किंवा अनुसूचित जमातीतील मोठ्या शेतकन्यांकडून होणारे अन्याय, शोधन, हिनपणाची वागणूक यातून त्यांचे रक्षण व्हावे या हेतूने सरकारद्वारे भूमीहीन अनुसूचित जमातीच्या शेतमजूर कुटूंबासाठी स्वाभीमान व सबलीकरण योजना आणण्यात आली.

#### स्वाभीमान व सबलीकरण योजना :-

दारिद्र्य रेषेखालील भूमिहीन कुटूंबांना त्याने उत्पन्नाचे स्रोत वाढावे व त्यांच्या राहणीमानात बदल व्हावा याकरीता त्यांचे मजूरीवर असलेले अवलंबत्व कमी व्हावे व त्यांना कायमस्वरूपी उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध व्हावे याकरीता ही योजना अंमलात आली. या योजनेअंतर्गत भूमिहीन शेतमजूरांना कसण्याकरीता जमीन उपलब्ध करून दिली जाते. यामध्ये लाभाच्यांना जमीन विकत घेण्याकरीता ५० टक्के अनुदान व ५० टक्के कर्ज यास्वरूपात निधी उपलब्ध करून दिली जाते. देण्यात येणारे कर्ज हे बिनव्याजी स्वरूपाचे असून ते १० वर्ष मुदतीकरीता देण्यात येते व कर्जफेडीची स्वरूपात ही मंजूरीनंतर २ वर्षानंतर सुरू करण्यात येते.

#### प्रस्तावना

भूमिहीन दारिद्र्य रेषेखालील काही आदिवासी कुटूंबांना उदरनिर्वाहाचा साधन नसल्यामुळे रोजहार हमी योजना किंवा खाजगी व्यक्तीकडे मजूरी करावी लागते आणि मजूरी ही हंगामी असते त्यामुळे हे कुटूंब स्थलांतरीत होतात मजूरीवरील अवलंबित्व कमी व्हावे व कायमस्वरूपी उत्पन्नाचे साधन प्राप्त कावे यासाठी सदर योजना आहे भूमिहीन अनु. जमातीच्या

#### स्वरूप :-

शेतमजूर कुटूंबासाठी स्वाभिमान व सबलीकरण योजना सन २००७-०८ पासून सुरु झालेली आहे. भूमिहीन अनु जमातीच्या शेतमजुरी करणाऱ्या दारिद्र्यरेषेखालील कुटूंबांना शासनाचे दराप्रमाणे २ एकर बागायत अथवा ४ एकर जिरायत शेत जमीन खरेदी करून देण्यात येते यासाठी मा. जिल्हाधिकारी यांच अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आलेली आहे सदर समितीमध्ये शेतजमिनीचे दर, लाभार्थी निवड मुल्यांकन इत्यादी बाबत निर्णय घेण्यात येतो सदर शेतजमीन खरेदीसाठी लाभार्थ्यांस ५० टक्के शासन अनुदान व ५० टक्के कर्ज स्वरूपात अनुदान देण्यात येते. देण्यात आलेल्या कर्जाचे १० वर्ष पर्यंत परत फेडीचे हप्ते ठरविण्यात येतात कर्जाची फेड खरेदी केल्यानंतर २ वर्षानंतर करण्यात येते व सदर कर्ज बिनव्याजी असते.

१. सदर च्या योजना अंतर्गत ५० टक्के अनुदान व ५० टक्के बिनव्याज कर्ज स्वरूपात निधी जातो.
२. भूमिहीन कुटूंबास ४ एकर कोरडवाहू किंवा २ एकर ओलिता खालील जमीन उपलब्ध करून दिली जाईल.

#### सर्वसाधारण पात्रता.

१. लाभार्थी अनुसूचित जमातीचा असावा.
२. लाभार्थी हा चंद्रपूर जिल्ह्याचा रहिवासी असावा.
३. अर्जदाराचे वय वर्ष २५ ते ६० इतके असावे व तो भूमिहीन असावा.
४. अर्जदार हा दारिद्र्य रेषेखालील असावा.
५. ज्या आदिवासी व्यक्तींच्या विरुद्ध जमिनीचा अतिकमनाबाबत प्रकरणे अतिक्रमण आदी नियमांतर्गत महसूल अधिकार्याकडे प्रलंबित आहे. त्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही.
६. कुटूंबातील एकाच सदस्याला लाभ मिळेल विभक्त कुटूंब दाखवून लाभाची भागणी करता येणार नाही.

#### योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे

१. विहित नमुन्यात अर्ज व बोन पासपोर्ट फोटो
२. जातीचा दाखला
३. रहिवासी दाखला
४. आधारकार्ड
५. ग्रामपंचायत ठराव
६. दारिद्र्यरेषेचा दाखला
७. पूर्वी लाभ न घेतल्याबाबत ग्रामसेवक यांचा दाखला
८. सात बारा उतारा मध्ये १ व्यक्तीपेक्षा जास्त नावे असल्यात संमतीपत्र जोडणे आवश्यक.

९. भूमिहीन असल्याबाबतचा दाखला.

चंद्रपूर जिल्हा हा महाराष्ट्रातील नक्षलग्रस्त दुर्गम व आदिवासी ि म्हणून ओळखल्या जातो या जिल्ह्यामध्ये अनुसूचित जमातीची संख्या मोठ्या प्रमाणावर आहे. त्यामुळे देशपातळीवर ज्या समस्या आदिवासी लोकांसमोर आहेत त्याच समस्या चंद्रपूर जिल्ह्यातील लोकांसमोर सुध्दा आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये आदिवासी भूमिहीन शेतमजुरांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यात अनुसूचित जमातीमध्ये सर्वात जास्त माना जमातीचे लोक आढळतात आणि त्यामध्ये बहुतांश भूमिहीन शेतमजूर आहेत. देशभरात जी योजना राबविली जाते तिच 'भूमिहीन अनुसूचित जमातीच्या शेतमजूर कुटूंबासाठी स्वाभिमान व सबलीकरण योजना' ही चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये सुध्दा राबविली गेलेली आहे आणि काही भूमिहीन मजुरांनी याचा फायदा सुध्दा घेतलेला आहे असे प्राथमिक माहिती वरून कळते ही योजना चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये आदिवासी विभागातर्फे राबविण्यात आली आहे. आणि येत सुध्दा आहे. सद्यस्थितीत या योजनेमध्ये बदल करून ५० टक्के अनुदानाच्या ऐवजी १०० टक्के अनुदानावर भूमी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

संशोधनाचे उद्देश :-

- १) चंद्रपूर जिल्ह्यातील अनुसूचित जमातीतील भूमिहीन शेतमजुरांच्या आर्थिक, सामाजिक समस्यांचा अभ्यास करणे,
- २) चंद्रपूर जिल्ह्यातील माना जमातीच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेणे.
- ३) चंद्रपूर जिल्ह्यात राबविण्यात आलेल्या स्वावलंबन सबलीकरण योजनेचा आढावा घेणे.
- ४) माना जमातीमधील स्वावलंबन व सबलीकरण योजनेच्या लाभार्थ्यांचा अभ्यास करणे.
- ५) स्वावलंबन व सबलीकरण योजनेचा माना जमातीतील भूमिहीन शेतमजुरांच्या राहणीमानावर झालेल्या परीणामांचा अभ्यास करणे.
- ६) चंद्रपूर जिल्ह्यातील एकुणच माना जमातीतील भूमिहीन शेतकऱ्यांच्या समस्या आणि स्वावलंबन व सबलीकरण योजना यांचा चिकीत्सक अभ्यास करणे.

निष्कर्ष :-

- १) चंद्रपूर जिल्ह्यात अनुसूचित जमातीमध्ये माना जमातीही संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे असे अभ्यास अंती दिसून आले
- २) चंद्रपूर जिल्ह्यात माना जमातीत भूमिहीन शेतमजुरांची संख्या मोठ्या प्रमाणात असून त्यांची स्थिती गंभीर असल्याचे आढळून आले
- ३) चंद्रपूर जिल्ह्यात राबविण्यात येणारी स्वावलंबन व सबलीकरण योजना अनुसूचित जमातीतील भूमिहीन शेतमजुरांसाठी नवसंजीवनी ठरत आहे हे सिद्ध झाले

४) चंद्रपूर जिल्ह्यात स्वावलंबन व सबलीकरण योजनेचा लाभ घेणाऱ्यांमध्ये माना जमातीतील भूमीहीन शेतमजुरांची संख्या फार कमी असल्याचे आठवून आले.

५) चंद्रपूर जिल्ह्यातील आदिवासी विभागच्या अधिकाऱ्यांमध्ये स्वावलंबन व सबलीकरण योजनेच्या अंमलबजावणीबद्दल उदासीनता दिसून येते. आहे.

**उपाय योजना:-**

- 1) स्वावलंबन व सबलीकरण योजनेची योग्य ती अंमलबजावणी करण्यात यावी
- 2) माना जमातीमध्ये या योजनेबद्दल जनजागृती करण्यात यावी त्यामुळे जास्तीत जास्त लोकांना याचा फायदा होईल
- 3) ही योजना शेतमजुरांसाठी नवसंजीवनी आहे. हे लाभ घेतलेल्या लोकांच्या माध्यमातून कळले. त्या संदर्भात योग्य ती माहिती लोकांपर्यंत पोहचवीण्यात यावी .

**संदर्भ :-**

- १) भारतीय वित्तीय व्यवस्था- डॉ. अरविंद शेंडे
- २) आर्थिक विकास और स्वतंत्रता अमर्त्य सेन
- ३) भारतीय अर्थव्यवस्था- ए. एन. अग्रवाल
- ४) गुणात्मक संशोधनाची कार्यपध्दती - शाली व बॅंगी
- ५) संशोधन पध्दती - डॉ. वा. गा. पाटील
- ६) संशोधन समस्या- डॉ. सुरेश डोळके
- ७) आदिवासी विभागाचे वार्षिक अहवाल

**Websites :-**

- 1) [www.google.com](http://www.google.com)
- 2) [www.swawalambanyojana.in](http://www.swawalambanyojana.in)
- 3) [www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org)
- 4) [www.tribaldevelopment.in](http://www.tribaldevelopment.in)

**Newspaper :-**

- 1) Lokmat
- 2) Loksatta

---

## Gandhi And Religion

**Dr. Anuradha Srivastava**

Mohandas Karamchand Gandhi was born on 2<sup>nd</sup> October 1869 at Porbandar in Gujarat. His parents were Karamchand Gandhi and Putlibai. He married Kasturbai. Gandhi went to London and studied Law. He went to work in South Africa where he was thrown off the train in Pietermaritzburg even after possessing a valid first class ticket. This important incident and some other incidents which occurred in South Africa made Gandhi to start protesting the injustice against Indians in South Africa. Gandhi founded the Natal Indian Congress into a homogenous political force and also evolved the nonviolent Satyagraha which later became a potent method in fighting for Indian Independence. In 1915, Gandhi returned to India and he organized Champaran agitation and Kheda Satyagraha to protest against increasing tax. Next he organized the Noncooperation Movement to protest against the British forces for Jallianwala Bag massacre. Gradually movement gathered momentum and Gandhi asked for Swaraj or Independence of India. Gandhi also asked the people to wear Indian made Khadi cloth and not to buy any of the British goods and to boycott British educational institutions, law courts and to forsake British employment, title and honours. He organized the Dandi Salt march from Ahmedabad to Dandi in 12<sup>th</sup> March 1930 to 5<sup>th</sup> April 1930.

India got Independence in 1947, but Gandhi was very unhappy about the partition of the nation into India and Pakistan. He went on fasting to prevent the Hindu Muslim communal violence. Gandhi dedicated his whole life to convey the message of nonviolence and for the upliftment of Dalits whom he referred to as Harijans. His Birthday has been declared as the International Day of Nonviolence by the United Nations General Assembly. The Autobiography titled My Experiments with Truth, and Satyagraha in South Africa are two important books written by Gandhi.1

India is a country where people are predominantly religious. Religion and spirituality are firmly rooted in the minds of the Indian people. India is well known for her philosophy and religion. To the Indian people religion is one great sustaining force, pertaining to all the spheres of their lives. Mahatma Gandhi who was born and brought up in India could not escape this strong influence of religion in all his activities.2

Religion signified, to him, belief in the ordered moral governance of the world. He was deeply interested in the comparative study of religions since the days of his youth. The meaning of the word 'Dharma' is 'religion' in India. This is a comprehensive term which embraces all of humanity. But it should be noted, that the word 'Dharma' in Hinduism has a much wider connotation than what we ordinarily mean by the word religion. 'Dharma' is the greatest sustaining force or the binding force of the society. The goal of 'Dharma' is to create mental and spiritual fellowship among all men. It thus tries to keep the world in perfect equilibrium. It is thus clear that the word 'Dharma' was not used in connection with any particular religion. Gandhi's concept of religion, therefore, brought under its fold people belonging to different religions.3

Gandhiji had great love both for God and religion but his views in his regard are broader than what is generally understood by religion or God. He says, To me God is ethics and morality; God is fearlessness. God is the source of Light and Life and yet He is above and beyond all these. He is even the atheism of the atheist. For in his boundlessness, God permits the

atheist to live. He is the searcher of hearts. He is a personal God to those who need his personal presence. He is embodied to those who need his touch. He is the purest essence.... He is all things to all men. He is in us and yet above and beyond us. 4 The basic conviction of Gandhi is that there is one reality—that of God, which is nothing else but truth. Gandhi refers to 'God' as 'Truth' and this has very important bearings. His religious ideas are also derived from that conviction. If truth is God, sincere pursuit of Truth is religion.. But The word 'Truth' has a much wider connotation than the term 'God'. There may be non-believers in God. But no one can deny 'truth' for even the atheist must accept the power of 'Truth'.

His mission was not only to humanize religion, but also to moralize it. Gandhi believes truth and non-violence as the creative force of religion in human history. True religion is the moral values of man as spirit. For him, Ram and Rahim were two names of the same Creator and both preached love, truth and brotherhood. Prayer is the only way of bringing about peace, harmony and order in our life. Like Buddha and Ramakrishna he was above the bounds of creeds, cults, rituals and ceremonies. True religion, according to Gandhi, implied an emphasis on the moral values of man as spirit. ,All religions are founded on the same moral laws. My ethical religion is made up of laws which bind men all over the world. ,Religion provided the dynamic impetus to his actions and life. But emancipation to Gandhi did not signify isolation. It did not mean the negation and repudiation of the claims of the society and the human kind. At the same time he believed that almost every religion has given rise to some fanatic and unreasonable practices.

In ancient times it was a common belief that religion is a matter of individual experience. But modern psychology has shown that there is no such thing as a merely individual experience, which is absolutely cut off from the society. It consisted of men belonging to different land and different religions. Therefore the study of comparative religion was important to Gandhi. The best principle of different religions, he felt, should be assimilated for the advancement of our society<sup>5</sup> He believed a respectful study of other's religion was a sacred duty.

Mahatma Gandhi had great faith in religious values because it promoted morals of the people. Without religion, life signifies nothing. He believes that true religion has to be practical. Therefore, he says that religion should pervade every aspect of our life—even political life. He believed that basically it was wrong to separate religion from politics. Both must go hand in hand. In actual practice he applied religion to politics and said that politics subserves religion. He said that ,most religious men I have met are politicians in disguise; I however wear the guise of a politician am at heart a religious man.' According to him, true religion can make an otherwise dirty game of politics sublime and noble. Each politician must be religious minded, if he is a true politician. Gandhiji thinks that religions are different roads converging to the same point.<sup>6</sup>

The salient features of Gandhi's views on the nature of religion. Firstly, religion is the expression of the permanent nature of man. Secondly, Religion has the character of purifying and elevating one's nature. Thirdly, religious aspiration is based on a desire and a cognitive urge to know 'the beyond'. It has somehow the feeling that the ultimate religious ideal is nothing but the realization of God. Fourthly and finally, religion involves a conscious and sincere love and striving for Truth. Without this all other characters of religion would be ineffective. Therefore, Gandhi says that there is

no religion higher than Truth and Righteousness.

Mahatma Gandhi's mission was not only to humanise religion but also to moralise it. He would reject any religious doctrine, which was in conflict with morality.

According to Gandhi religion and morality are inseparably bound up with each other. Morality is prized by almost all the great religions of the world.<sup>7</sup> Religion is to morality what water is to the seed that is sown in the soil.<sup>8</sup> The emphasis on morality, by Gandhi helped his ideas to acquire a universalistic outlook.

Gandhi's religion was a federation of different religious creeds, theological schools and sectarian faiths that have survived in India from ancient times. People belonging to different religions would go to him for his advice and blessings on different matters. All through his life Gandhi devoted much time and energy for the promotion of Hindu Muslim unity and also fasted for his cause on many occasions. Gandhi threw himself into a struggle to heal the breach between the two communities. Gandhi wanted communal harmony and peace not only between the Hindus and the Muslims but between all sections of the people who believe India to be their home, no matter to what faith they may belong.<sup>8</sup> While keeping firm roots in ancient Hinduism, he welcomed contact with other religions, especially the Christian doctrines Gandhi had the good fortune to have as his colleague's people belonging to different religions. Two important examples are those C.F. Andrews and Maulana Abul Kalam Azad. The Ashram prayers of Gandhi had passages from holy books like the Gita, the Bible and the Koran. This tradition still continues in India in most of the public meetings and prayers. Gandhi also maintained that a reverential study of the different religious tradition is necessary. He felt that it is the duty of every cultured man and woman to read sympathetically the scriptures of the world. To respect other religion, a study of their scriptures, is a sacred duty according to Gandhi. If we possess these qualities we can appreciate other's faith, traditions, customs, culture and way of life. Gandhi therefore felt a need of the comparative study of religions to pave the way for unity and brotherhood amongst the followers of different religions.<sup>9</sup> At the same time he also said, "I reject any religious doctrine that does not appeal to reason and is in conflict with morality". Gandhi believed in judging people of other faiths from their stand point rather than his own. *It has been my experience that I am always true from my point of view, but am often wrong from the point of view of my honest critics. I know that we are both right from our respective points of view. And this knowledge saves me from attributing motives to my opponents or critics. The seven blind men who gave seven different descriptions of the elephant were all right from their respective points of view, and wrong from the point of view of one another, and right and wrong from the point of view of the man who knew the elephant. I very much like this doctrine of the manyness of reality. It is this doctrine that has taught me to judge a Mussalman from his own standpoint and a Christian from his. Formerly I used to resent the ignorance of my opponents. Today I can love them because I am gifted with the eye to see myself as others see them and vice-versa.*

Mahatma Gandhi was a Sanatani Hindu. Gandhi of course was born a Hindu but his interpretation of Hinduism was his own. His love for Hinduism was not blind love. Gandhi spoke about the lofty ideals preached by Hinduism. Hinduism, according to him is

the most tolerant and liberal religion. He was deeply impressed by the ethical and spiritual outlook of Hinduism. Gandhi said, "The chief value of Hinduism lies in holding the actual belief that all life is one i.e. all life coming from one universal source, call it Allah, God or Parameshwara." Gandhi was also very much impressed by the teachings of the Gita saying, "when one sees Me everywhere and everything in Me, I am never lost to him and he is never lost to Me." But Gandhi at the same time was very radical in his approach and he did not hesitate in criticizing those aspects of Hinduism which did not appeal to his reason. For example he was very much against the caste system that was prevalent in Hinduism. To quote Gandhi, "My religion is Hinduism ... I can no more describe my feelings for Hinduism than for my wife ... Even so I feel about Hinduism with all its fault and limitations ... I know that the vice that is going on today in all the Hindu shrines ... My zeal never takes me to the rejection of any of the essential things in Hinduism.". Hinduism according to Gandhi, did not have one central book for reference, no particular God of worship nor one particular way of God realization. Whether he is a theist or an atheist, he is a Hindu.<sup>10</sup>

Whether he believes in one absolute or many Gods, he is a Hindu. Whether he believes in Vedas or not, he remains a Hindu. Gandhi was therefore liberal enough to take idol worship as a part of human nature, though he did not believe in idol worship as such. Gandhi, was, however, deadly against untouchability, the greatest plague of the Hindu society . Gandhi was also against animal sacrifice though prescribed in the Vedas as it went against his concept of non-violence. Instead he advocated the sacrifice of animality in us in the form of lust, greed, anger, hatred, ill-will etc. Referring to Rama and Krsna, the most popular Gods of Hinduism, Gandhi said, "My Krsna is not the historical Krsna. I believe in the Krsna of my imagination as a perfect incarnation, spotless in every sense of the word, the inspirer of the Gita, and the inspirer of the lives of millions of human beings. But if it is proved to me ... that the Krsna of the Mahabharata actually did some of the acts attributed to Him, even at the risk of being banished from the Hindu fold, I should not hesitate to reject that Krsna as God incarnate." Though deeply religious by nature, Gandhi did not believe in rituals, customs, traditions, dogmas and other formalities observed for the sake of religion. Like Swami Vivekananda and Rabindranath Tagore, Gandhi's religion was not confined to Temples, Churches, books, rituals and other outer forms. Thus Gandhi's concept of religion was not bound by any formalities. His God may be a personal God to those who needs his personal presence. He may be a law to those who concentrate their minds on the orderliness of the universe. He may be an embodied being to those who need his touch. According to Gandhi God may have a thousand names as Ishwara, Siva, Vishnu, Rama, Krsna, Jehovah, Christ, Allah etc. according to the traditions in which a man is brought up. In the words of Gandhi, "Is there one God for the Mussalmans and another for the Hindus, Parsis, and Christians? No, there is only one omnipresent God. He is named variously, and we remember him by the name which is most familiar to us." <sup>11</sup>

"In reality there are as many religions as there are individuals".

"I do not share the belief that there can or will be on earth one religion". "Gandhi advocated his views on Islam, another great world religion. Islam is a religion of strict monotheism and rigorous ethical discipline. As Gandhi himself said in this connection, "I do regard Islam to be a religion of peace in the same sense as Christianity, Buddhism and Hinduism are." The charges of fanaticism against Islam cannot be justified, according to

---

Gandhi as there are several passages in the Koran which speak of religious toleration. To quote Gandhi, "where is the unerring general to order Jihad? Where is the suffering and love and purification that much precede the very idea of drawing the sword? We are too imperfect and impure and selfish to resort to an armed conflict in the name of God."

Gandhi was also impressed by the personal and social codes of behavior that Islam prescribes. In the Koran there are rules and regulations for virtues like obedience to parents, avoidance of adultery, cheating and lying, refraining from theft, murder etc. All these aspects of Islam influenced Gandhi, a great deal.

Amongst religions, other than Hinduism, no other religion inspired, impressed and influenced Gandhi as Christianity. In the concept of Satyagraha, Gandhi was deeply influenced by the teachings of Jesus particularly the sacrifice Jesus .. Satyagraha, in the hands of Gandhi had been a weapon of conquering evil by good. Gandhi said that he had the same liking for the Sermon as he had for the Gita. Gandhi loved Christianity because of its absolute emphasis on love as the most ethical virtue. But Gandhi disliked the claims of Christianity as superior over all other religions of the world. But though Gandhi had a deep respect for the different religions he was against proselytisation. He was against certain forms of missionary activities specially those relating to conversion. As he remarked, "A rose does not need to preach. It simply spreads its fragrance. The fragrance is its own sermon. The fragrance of religion and spiritual life is much finer and much subtler than that of a rose."

From the comparative study of religions, Gandhi was convinced that a mere doctrinaire approach in the field of religion does not help to create inter religious fellowship. Dogmatic religions do not help to promote creative dialogue. The religions dogmas directly or indirectly breed an attitude of dislike towards other religions. Such an attitude does not help to provide any meeting grounds for religions. Gandhi realized that true religion vitalizes and elevates the inner life of human beings. In their true aspects all religions call for peace and brotherhood amongst man.<sup>12</sup> Religion of course is a matter of faith and we often tend to believe it is independent of reason or rational enquiry

The essence of his ideas on religion was expressed thus: "After long study and experience, I have come to the conclusion that (1) all religions are true;(2)all religions have some errors in them; (3) all religions are almost as dear to me as my own Hinduism. My own veneration for other faiths is the same as that for my own faith".<sup>13</sup>

The world does not need a new religion. .

Gandhi has been killed. He was shot dead on 30 th January 1948 by Nathuram Godse. Physically he is no more with us. But his spirit lives amidst us and within us, with all its glory than ever before..<sup>14</sup>

### Conclusion

For Gandhi, religion was a source of guidance all throughout his life. His understanding of religion is interesting, unique and meaningful. Because of his open-mindedness, he could also recognize the uniqueness of each religious

tradition as something noble and hence to be lived by the followers of all religions. His attitude towards other scriptures and even people of other religions was remarkable and admirable. He was a man of prayer, who strived his best to attain the realization of God and ultimately Moksha. He believed more in personal religion than in the structured religion. He also invites us to personalise our religion whatever we may belong to. The comprehensive view of religions of Gandhi would of course widen our understanding of religions in its different dimensions. It also helped Gandhi to realize the higher ideals of life.

In an environment of violence-culture, religious fundamentalism and fanaticism, it will be relevant to recall the words of Mahatma Gandhi: "My religion has no geographical limits. My religion is based on truth and nonviolence. My religion forbids me to hate anybody. Religion is not for separating people but to bind them." That was Mahatma's religion, true Religion of Love and Tolerance.

#### References;

1. Dr.Shyamal Chandra Sarkar;Mahatama Gandhi's Conception of Religion ;A Brief Study.'International Journal For Modern Times In Science and Technology..25 .7.2021
2. Manisha Barua ;Gandhi and Comparative Religion.
3. Dr.Shyamal Chandra Sarkar: Mahatama Gandhi's Conception of Religion ;A Brief Study.'International Journal For Modern Times In Science and Technology..25 .7.2021
4. Manisha Barua ;Gandhi and Comparative Religion
5. Manisha Barua ;Gandhi and Comparative Religion
6. Dr.Shyamal Chandra Sarkar;Mahatama Gandhi's Conception of Religion ;A Brief Study.'International Journal For Modern Times In Science and Technology..25 .7.2021
7. Manisha Barua ;Gandhi and Comparative Religion.
8. Manisha Barua ;Gandhi and Comparative Religion.
9. Manisha Barua ;Gandhi and Comparative Religion
- 10 Manisha Barua ;Gandhi and Comparative Religion .
11. Manisha Barua ;Gandhi and Comparative Religion
12. Manisha Barua ;Gandhi and Comparative Religion
- 13..Ajai R.Singh and Shakuntala A Singh:Gandhi On Religion Faith and Conversion:Secular Blue Print Relevant Today :Mens Sana Monograph
- 14.Manisha Barua ;Gandhi and Comparative Religion

## भारतातील बालकामगार: स्थिती आणि आव्हाने

शशिकांत व्ही. डांगे

सहायक प्राध्यापक

काॅलेज ऑफ सोशल वर्क,

कामठी, जि नागपूर

सारांश :

बालकामगार हे भारतातील सर्वात सततच्या विकासात्मक आव्हानांपैकी एक आहे, जे लाखो मुलांना प्रभावित करते आणि गरिबी आणि वंचिततेच्या आंतरपिढ्या चक्रांना कायम ठेवते. हा शोधनिबंध भारतातील बालकामगारांच्या सद्यःस्थितीचे व्यापक विश्लेषण करतो, त्याचे परिमाण, वितरण, मूळ कारणे आणि परिणामांचे परीक्षण करतो. अलीकडील बचाव कार्य डेटा, कायदेशीर चौकट आणि धोरणात्मक उपक्रमांवर आधारित प्रगतीचे मूल्यांकन करतो आणि अंमलबजावणीतील गंभीर तफावत ओळखतो. वाढत्या शहरी बालकामगार आणि सतत अंमलबजावणीतील अपयश यासारख्या त्रासदायक बाबीसह, २००१ मध्ये बालकामगारांमध्ये १२.६ दशलक्ष वरून २०११ मध्ये १०.१ दशलक्षपर्यंत लक्षणीय घट अधोरेखित करतो. वेलपूर मॉडेल आणि चार नवीन कामगार संहितांसह उदयोन्मुख कायदेशीर चौकटींसारख्या यशस्वी हस्तक्षेपांच्या तपासणीद्वारे, हा शोधनिबंध कायदेशीर प्रतिबंध, शैक्षणिक प्रवेश, असुरक्षित कुटुंबांसाठी आर्थिक आधार आणि समुदाय-चालित देखरेख एकत्रित करणारा बहुआयामी दृष्टिकोन मांडतो. बालकामगार निर्मूलनासाठी भारताच्या वचनबद्धतेची पूर्तता करण्यासाठी धोरण सुधारणा, संस्थात्मक बळकटीकरण आणि समन्वित कृतीसाठी ठोस शिफारसीसह शोधनिबंधाचा शेवट होतो.

बीजशब्द : बालकामगार, भारत, बाल हक्क, बंधपत्रित कामगार, शिक्षण धोरण, कायदे, पुनर्वसन

प्रस्तावना

शाळेत जाण्याऐवजी शेतात, कारखान्यात किंवा घरात काम करणारे मूल संपूर्ण भारतात दुःखदपणे सामान्य आहे. लाखो मुलांसाठी, बालपण हा शिकण्याचा, खेळण्याचा आणि वाढीचा काळ नसून अकाली जबाबदाऱ्या, धोकादायक काम आणि गमावलेल्या संधींचा काळ आहे. संवैधानिक हमी, कायदेशीर प्रतिबंध आणि आंतरराष्ट्रीय वचनबद्धता असूनही, बालकामगार मुलांना शिक्षण, आरोग्य आणि सन्माननीय विकासाच्या मूलभूत

अधिकारांपासून वंचित आहेत. बालकामगारांशी भारताचे नाते गुंतागुंतीचे आणि विरोधाभासी आहे. देशात मुलांचे संरक्षण करणारी जगातील सर्वात व्यापक कायदेशीर चौकटीपैकी एक आहे, तरीही तो जागतिक स्तरावर काम करणाऱ्या मुलांची सर्वात मोठी लोकसंख्यादेखील आहे. आर्थिक वाढीचा परिणाम बालकामगारांच्या निर्मूलनात आपोआप झाला नाही; खरेच, ग्रामीण भागात घट होत असतानाही शहरी भागात बालकामगारांमध्ये वाढ झालेली आहे. बालमजुरीची सततची स्थिती खोलवर रुजलेल्या संरचनात्मक समस्यांना प्रतिबिंबित करते: गरिबी, असमानता, अपुरे सामाजिक संरक्षण आणि शैक्षणिक वितरणातील अपयश. हा शोधनिबंध भारतातील बालमजुरीची सद्यस्थिती तपासतो, ज्यामध्ये बचाव कार्य आकडेवारी, कायदेशीर विकास आणि धोरणात्मक उपक्रम यांचा समावेश असलेल्या सर्वात अलीकडील उपलब्ध डेटाचा समावेश आहे. बालमजुरीच्या बहुआयामी कारणांचे विश्लेषण करते, विद्यमान हस्तक्षेपांच्या प्रभावीतेचे मूल्यांकन करते आणि निर्मूलनाच्या दिशेने प्रगतीला गती देण्यासाठी एक व्यापक चौकट प्रस्तावित करते.

बालमजुरी म्हणजे काय?

बालमजुरी म्हणजे बालकामगारापेक्षा वेगळे. आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना (ILO) बालमजुरीची व्याख्या अशी करते की, 'जे मुलांना त्यांचे बालपण, क्षमता आणि प्रतिष्ठा हिरावून घेते आणि जे शारीरिक आणि मानसिक विकासासाठी हानिकारक असते'. यामध्ये असे काम समाविष्ट आहे जे मानसिक, शारीरिक, सामाजिक किंवा नैतिकदृष्ट्या धोकादायक आणि मुलांसाठी हानिकारक आहे आणि जे काम त्यांना शाळेत जाण्याच्या संधीपासून वंचित ठेवून त्यांच्या शिक्षणात अडथळा आणते, त्यांना अकाली शाळा सोडण्यास भाग पाडते किंवा त्यांना शाळेतील उपस्थितीला जास्त काळ आणि जड कामाशी जोडण्याचा प्रयत्न करण्यास भाग पाडते.

ILO कन्व्हेन्शन क्रमांक १८२ द्वारे परिभाषित केल्याप्रमाणे बालमजुरीच्या सर्वात वाईट प्रकारांमध्ये सर्व प्रकारची गुलामगिरी किंवा गुलामगिरीसारख्या पद्धतींचा समावेश आहे, ज्यात प्रामुख्याने मुलांची विक्री आणि तस्करी, कर्ज बंधन आणि दास्य, जबरदस्ती किंवा सक्तीचे श्रम, सशस्त्र संघर्षात वापरण्यासाठी मुलांची जबरदस्तीने भरती, बाल वेश्याव्यवसाय आणि पोर्नोग्राफी, ड्रग्स तस्करीसारख्या बेकायदेशीर क्रियाकलाप आणि असे काम जे मुलांच्या आरोग्य, सुरक्षितता किंवा नैतिकतेला हानी पोहोचवू शकते.

भारतीय कायदे

गेल्या चार दशकांमध्ये बालकामगारांबाबत भारताचा कायदेशीर दृष्टिकोन लक्षणीयरीत्या विकसित झाला आहे. २०१६ मध्ये सुधारित केलेला बाल आणि किशोरवयीन कामगार (प्रतिबंध आणि नियमन) कायदा, १९८६ हा

यातील महत्त्वाचा कायदा आहे. या कायद्यातील प्रमुख तरतुदींमध्ये १४ वर्षांखालील मुलांना सर्व व्यवसाय आणि प्रक्रियांमध्ये कामावर ठेवण्यास पूर्णपणे बंदी तसेच किशोरवयीन मुलांना (१४-१८ वर्षे) धोकादायक व्यवसाय आणि प्रक्रियांमध्ये कामावर ठेवण्यास बंदी, उल्लंघन करणाऱ्यांसाठी कारावास आणि दंड. २०१६ च्या दुरुस्तीने कायद्याचे महत्त्वपूर्ण बळकटी दर्शविली, ज्यामुळे केवळ धोकादायक कामापासून ते सर्व कामांपर्यंत मनाईची व्याप्ती वाढली, तर विशिष्ट अटींच्या अधीन असलेल्या कौटुंबिक उपक्रम आणि मनोरंजन उद्योगांसाठी एक सूक्ष्म अपवाद निर्माण झाला. या कायदेशीर चौकटीला संविधानिक तरतुदी आधार देतात. कलम २४ मध्ये १४ वर्षांखालील मुलांना कारखाने, खाणी किंवा इतर धोकादायक कामात कामावर ठेवण्यास मनाई आहे. कलम ३९(फ) राज्याला हे सुनिश्चित करण्याचे निर्देश देते की मुलांना निरोगी पद्धतीने आणि स्वातंत्र्य आणि सन्मानाच्या परिस्थितीत विकसित होण्यासाठी संधी आणि सुविधा दिल्या जातील आणि बालपण आणि तारुण्य शोषणापासून आणि नैतिक आणि भौतिक त्यागापासून संरक्षित केले जाईल. शिक्षण हक्क (आरटीई) कायदा, २००९ हा ६-१४ वर्षे वयोगटातील मुलांसाठी शिक्षण हा मूलभूत अधिकार बनवून कामगार कायदांना पूरक आहे, सुधारित कायदांतर्गत शिक्षा मोठ्या प्रमाणात आहेत: सहा महिने ते दोन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि ₹२०,००० ते ₹५०,००० पर्यंत दंड, वारंवार गुन्हेगारांना एक ते तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते.

आंतरराष्ट्रीय वचनबद्धता

भारत बाल हक्कांवरील संयुक्त राष्ट्रांच्या अधिवेशन (१९९२ मध्ये मंजूर) आणि बालमजुरीच्या सर्वात वाईट प्रकारांवरील ILO अधिवेशन क्रमांक १८२ यासारख्या प्रमुख आंतरराष्ट्रीय कागदपत्रांवर स्वाक्षरी करणारा देश आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, २०१५ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेच्या शिखर परिषदेत, भारताने शाश्वत विकास ध्येय ८.७ ला वचनबद्ध केले, ज्याचे उद्दिष्ट २०२५ पर्यंत सर्व प्रकारचे बालमजुरी, आधुनिक गुलामगिरी आणि मानवी तस्करी नष्ट करणे आहे.

भारतातील बालकामगारांची स्थिती

२०११ च्या जनगणनेनुसार, भारतात ५ ते १४ वर्षे वयोगटातील १०.१ दशलक्ष (एक कोटी) काम करणारी मुले आहेत. २००१ मध्ये १२.६ दशलक्ष वरून घट दर्शवते, म्हणजेच २००१ ते २०११ दरम्यान बालकामगारांच्या संख्येत २.६ दशलक्षने घट झाली. या काळात ग्रामीण बालकामगार ११.४ दशलक्ष वरून ८.१ दशलक्ष पर्यंत कमी झाले, तर शहरी बालकामगार १.३ दशलक्ष वरून २० दशलक्ष पर्यंत वाढले. शहरी प्रवृत्ती विशेषतः चिंताजनक आहे कारण शहरांमध्ये बालकामगारांची वाढती मागणी दर्शविते, बहुतेकदा असंघटील आणि अनियंत्रित क्षेत्रांमध्ये जिथे अंमलबजावणीची स्थिती सर्वात कमकुवत असते. अधिकृत आकडेवारीनुसार, मुलीपेक्षा मुले

बालकामगारात गुंतलेली असण्याची शक्यता तीन पट जास्त असते. तथापि, हे मुलींच्या सहभागाला कमी लेखू शकते, कारण मुलींचे बहुतेक काम - विशेषतः घरगुती काम - अधिकृत सर्वेक्षणांमध्ये अदृश्य राहते.

भारतात बालकामगार विशिष्ट क्षेत्रांमध्ये केंद्रित आहेत ज्यामध्ये प्रामुख्याने

कृषी क्षेत्र	शेती (नांगरणी, संकरित कापूस बियाणे उत्पादन, कापूस आणि भात लागवड, ऊस, चहा, नारळ काढणे, तण काढून टाकणे); ऊस, काजू, समुद्री खाद्य प्रक्रिया करणे
उद्योग क्षेत्र	कपडे तयार करणे, रेशीम कापड विणणे, कच्चे रेशीम धागे तयार करणे, कापूस कातणे; काचेच्या बांगड्या, नकली दागिने, कुलूपे, पितळाची भांडी तयार करणे; सिगारेट (बिडी) गुंडाळणे, अगरबत्ती, फटाके तयार करणे; पादत्राणे, चामड्याच्या वस्तू, खेळणी तयार करणे, फुटबॉल बॉल शिवणे; विटा तयार करणे, वाळूचा खडक आणि प्रसिद्ध उत्खनन करणे, अभ्रक आणि कोळसा खाणकाम करणे.
सेवा क्षेत्र	घरगुती काम; रेस्टॉरंट्स, हॉटेल्स, फूड सर्व्हिसमध्ये काम करणे; रस्त्यावर काम (सफाई करणे, कचरा वर्गीकरण करणे, ट्रिकेट विकणे, संघटित भिक्षा मागणे); ऑटोमोबाईल वर्कशॉपमध्ये काम करणे

शेती: बालकामगारांचा सर्वात मोठा नियोजित, जागतिक स्तरावर काम करणाऱ्या मुलांपैकी अंदाजे ७०%. मुले शेतात काम करतात, अनेकदा हानिकारक कीटकनाशकांच्या संपर्कात येतात, धोकादायक यंत्रसामग्री चालवतात. उत्पादन: कापड, कपडे, वीटभट्ट्या, फटाके आणि माचीसचे कारखाने आणि इतर लघुउद्योगांसह क्षेत्र बहुतेकदा त्यांच्या 'चपळ बोटोंसाठी' मुलांना पसंत करतात कारण त्यांना कमी वेतन दिले जाऊ शकते आणि मुलांद्वारे कामाच्या ठिकानी चांगल्या परिस्थितीची मागणी करण्याची शक्यता कमी असते.

घरगुती काम: प्रामुख्याने मुली, ज्यांना घरांमध्ये स्वच्छता, स्वयंपाक आणि लहान मुलांची काळजी घेण्यासाठी कामावर ठेवले जाते.

रस्त्यावरील आणि सेवा क्षेत्र: लहान खाणावळ्यांमध्ये विक्रेते, चप्पल चमकवणारे, आणि इतर अनौपचारिक व्यवसायांमध्ये काम करणारी मुले ज्यात जास्त वेळ काम करणे, कठोर परिस्थिती आणि शोषणाचे उच्च धोके असतात.

सर्वात वाईट प्रकार: बंधपत्रित कामगार, लैंगिक शोषणासाठी तस्करी, संघटित भीक मागणे आणि बेकायदेशीर क्रियाकलापांमध्ये सहभाग यांचा समावेश आहे.

कोविड-१९ महामारी आणि त्यानंतरच्या लॉकडाऊनमुळे आर्थिक संकट निर्माण झाले ज्यामुळे लाखो असुरक्षित कुटुंबे अधिक गरिबीत ढकलली गेली, ज्यामुळे बालमजुरीमध्ये थेट वाढ झाली. तामिळनाडूमधील कॅम्पेन अगेन्स्ट

चाइल्ड लेबर (CACL) ने केलेल्या सर्वेक्षणात २०२० च्या तुलनेत २०२१ मध्ये बालमजुरीमध्ये १८०% वाढ झाल्याचे दिसून आले. राष्ट्रीय पातळीवर, सेव्ह द चिल्ड्रनच्या एका सर्वेक्षणात असे आढळून आले की कोविडनंतर बालमजुरी करणाऱ्या मुलांची संख्या ५% पर्यंत वाढली, जी साथीच्या आधी ४% होती. हे संकट इतके गंभीर होते की आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना (ILO) आणि युनिसेफने जून २०२१ मध्ये अहवाल दिला की बालमजुरीविरुद्धची जागतिक प्रगती "दोन दशकांत प्रथमच थांबली आहे", असा इशारा दिला की साथीच्या रोगामुळे लाखो अधिक मुलांना कामावर ढकलले जाऊ शकते. भारत सरकारच्या राष्ट्रीय बाल कामगार प्रकल्प (NCLP) अंतर्गत सुटका केलेल्या मुलांची संख्या प्रत्यक्षात या काळात वाढली, ज्यामुळे समस्येत वाढ आणि ओळख पटवण्याच्या प्रयत्नांमध्ये वाढ झाल्याचे दिसून येते. २०२०-२१ मध्ये, ५८,२८९ मुलांची सुटका आणि पुनर्वसन करण्यात आले, जे २०१९-२० मध्ये ५४,८९४ वरून वाढले आहे. यापैकी मध्य प्रदेशचा वाटा निम्म्या क्रमांकावर होता. संकटात असलेल्या मुलांसाठी भारताची राष्ट्रीय हेल्पलाइन असलेल्या चाइल्डलाइनला मार्च ते ऑगस्ट २०२० दरम्यान, १,९२,००० त्रासदायक कॉल आले, ज्यात बहुतेक बालकामगार प्रकरणे नोंदवली गेली. २० मार्च ते १० एप्रिल २०२१ या २१ दिवसांच्या अल्प कालावधीत, हेल्पलाइनला बाल संरक्षणासाठी आवाहन करणारे ४,६०,००० कॉल आले. तामिळनाडूमधील बाल कामगारांविरुद्ध मोहिमेने (CACL) केलेल्या सविस्तर सर्वेक्षणातून स्पष्ट माहिती मिळाली. २६ जिल्ह्यांमध्ये सर्वेक्षण केलेल्या ८१८ मुलांपैकी ५५३ मुले साथीच्या आजारापूर्वी शाळेत होती, परंतु लॉकडाऊनचे उपाय शिथिल झाल्यानंतर त्यापैकी ७५.८% मुले काम करत होती. मुले शेती, कुटीर उद्योग, बांधकाम आणि उत्पादन युनिटमध्ये काम करत असल्याचे आढळले. सर्वेक्षण केलेल्या ९४% मुलांनी सांगितले की आर्थिक संकटामुळे त्यांच्या कुटुंबाकडून त्यांच्यावर काम करण्यासाठी दबाव आणला जात होता. सर्वेक्षणात असे आढळून आले की असुरक्षित समुदायांमध्ये बालकामगारांमध्ये २८०% वाढ झाली आहे.

बालकामगार वाढण्यामागील प्रमुख घटक

आर्थिक संकट

साथीच्या आजारांमुळे तसेच लॉकडाऊनमुळे मोठ्या प्रमाणात उपजीविकेचे नुकसान झाले, विशेषतः रोजंदारीवर काम करणाऱ्या आणि स्थलांतरित कामगारांसाठी. सेव्ह द चिल्ड्रन सर्वेक्षणात ६२% पेक्षा जास्त कुटुंबांनी मार्च २०२० ते डिसेंबर २०२१ पर्यंत उत्पन्नात घट नोंदवली.

शैक्षणिक व्यत्यय

शाळा बंद होणे आणि ऑनलाइन वर्गांची उपलब्धता नसणे यामुळे मुले शिक्षणापासून दूर जाऊन कामावर जाऊ लागली. *CACL* सर्वेक्षणात, ९४% काम करणारी मुले आर्थिक अडचणी आणि मोबाईल फोन किंवा इंटरनेटची उपलब्धता नसल्यामुळे ऑनलाइन वर्गांना उपस्थित राहू शकली नाहीत.

वाढलेली असुरक्षितता आणि तस्करी : हताश कुटुंबे लहान कर्ज आणि वेतनाच्या आश्वासनांचे आमिष दाखवून मुलांना आकर्षित करणाऱ्या तस्करांना अधिक बळी पडू लागली. एका प्रकरणात, बिहारमधील एका गावातील पाच मुलांची तस्करी फक्त ₹५०० च्या आगाऊ रकमेवर करण्यात आली.

कायदेशीर संदर्भ आणि अंमलबजावणी

बालकामगारांवर नियंत्रण ठेवणारा प्राथमिक कायदा म्हणजे बाल आणि किशोरवयीन कामगार (प्रतिबंध आणि नियमन) सुधारणा कायदा, २०१६, जो १४ वर्षांखालील मुलांना कोणत्याही व्यवसायात कामावर ठेवण्यास प्रतिबंध करतो.

एनसीआरबी डेटा: राष्ट्रीय गुन्हे नोंद ब्युरो (एनसीआरबी) च्या आकडेवारीनुसार, २०१९ च्या पातळीच्या तुलनेत २०२० मध्ये बालकामगार कायद्यांतर्गत नोंदवलेल्या प्रकरणांची संख्या ३८% कमी झाली, कदाचित साथीच्या रोगामुळे आणि लॉकडाऊनमुळे सामान्य अंमलबजावणी क्रियाकलापांमध्ये व्यत्यय आला. तथापि, २०२१ मध्ये प्रकरणे २९% वाढली. थोडक्यात, २०२०-२०२१ हे वर्ष बालकामगारांविरुद्धच्या भारताच्या लढाईत एक मोठा धक्का होता. कोविड-१९ साथीच्या आजारामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक विध्वंसामुळे, शैक्षणिक व्यत्यय आणि वाढत्या कौटुंबिक असुरक्षिततेमुळे, लाखो मुलांना कामावर जायला भाग पाडले गेले, ज्यामुळे वर्षानुवर्षे प्रगती उलटली आणि तातडीने आणि ठोस धोरणात्मक उपाययोजनांची आवश्यकता निर्माण झाली. नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड्स ब्युरो (एनसीआरबी) मधील डेटा अंमलबजावणीतील उत्साहवर्धक ट्रेड दर्शवितो: २०१८ ते २०२२ दरम्यान, बालकामगारांच्या घटनांमध्ये बळी पडलेल्यांची संख्या ४४% ने वाढली (८१० वरून १,१६९ पर्यंत), तर बालकामगार कायद्यांतर्गत एफआयआरमध्ये ६६% ने वाढ झाली (४६४ वरून ७५१ पर्यंत). हे बालकामगारांमध्ये वाढ दर्शवत नाही तर कालांतराने मजबूत कायदेशीर प्रतिसादाची पुष्टी करते. तथापि, अंमलबजावणीतील लक्षणीय तफावत कायम आहे. उच्च बचाव संख्या असूनही, उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेशसारख्या राज्यांनी तुलनेने कमी अटक नोंदवली.

बालकामगार होण्यास कारणीभूत असलेले घटक

गरिबी आणि आर्थिक असुरक्षितता

गरिबी ही बालमजुरीचा सर्वात महत्त्वाचा घटक आहे. मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी संघर्ष करणाऱ्या कुटुंबांसाठी, मुलांचे उत्पन्न - कितीही कमी असले तरी - जगण्याचा मार्ग बनते. आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने असे नमूद केले आहे की बालमजुरी हे गरिबीचे कारण आणि परिणाम दोन्ही आहे: गरिबी मुलांना कामावर ठेवण्यास भाग पाडते आणि बालमजुरी मुलांना शाळेपासून दूर ठेवून आणि त्यांच्या भविष्यातील कमाईच्या क्षमतेवर मर्यादा घालून गरिबी कायम ठेवते. घरगुती कर्ज ही असुरक्षितता वाढवते. बिहार आणि उत्तर प्रदेश सारख्या राज्यांमध्ये, स्थानिक कर्ज फेडण्यासाठी मुलांना वीटभट्ट्या आणि शेतीत कामावर ठेवले जाते. कर्जाच्या बंधनात अडकल्यानंतर मृत्युमुखी पडलेल्या आंध्र प्रदेशातील एका नऊ वर्षांच्या यानाडी आदिवासी मुलाचे प्रकरण हे स्पष्ट करते की कर्ज मुलांसाठी मृत्युदंडाची शिक्षा कशी बनू शकते.

पालकांची बेरोजगारी आणि अल्परोजगारी

जेव्हा पालकांना स्थिर रोजगार नसतो किंवा अपुरे वेतन मिळत असते, तेव्हा ते कुटुंबाच्या उत्पन्नात मुलांच्या योगदानावर अवलंबून असतात. संशोधन सातत्याने दर्शवते की अनियमित प्रौढ रोजगार आणि सामाजिक संरक्षणाचा अभाव मुलांना कामावर ढकलतो. पालकांच्या आर्थिक असुरक्षिततेला तोंड न देता मुलांना कामावरून वाचवल्याने अनेकदा मुलांना पुन्हा कामावर जावे लागते.

दर्जेदार शिक्षणाची उपलब्धता कमी

आरटीई कायद्यांतर्गत शैक्षणिक उपलब्धतेत लक्षणीय प्रगती असूनही, गुणवत्ता असमान राहिली आहे. खराब शालेय पायाभूत सुविधा, दुर्गम भागात पुरेशा शाळांचा अभाव, शिक्षकांची अनुपस्थिती आणि अभ्यास साहित्य खरेदी करण्यास असमर्थता यामुळे मुलांना शाळेत जाण्यापासून रोखले जाते किंवा लवकर शाळा सोडण्यास भाग पाडले जाते. कोविड-१९ साथीच्या आजाराने या आव्हानांना आणखी वाढवले, ज्यामुळे अनेक असुरक्षित मुले शाळेतून बाहेर पडून कामावर ढकलली गेली. शालेय शिक्षण आणि बालमजुरी यांच्यातील संबंध द्विदिशात्मक आहे: काम करणारी मुले शाळेत जाण्याची शक्यता कमी असते आणि शाळाबाह्य मुले कामावर जाण्याची शक्यता जास्त असते. एका अभ्यासात म्हटल्याप्रमाणे, “खराब शालेय पायाभूत सुविधा, लांब प्रवासाचे अंतर आणि लपलेले खर्च शाळेतील उपस्थितीला रोखतात, मुलांना कामावर ढकलतात”.

सांस्कृतिक आणि सामाजिक नियम

अनेक समुदायांमध्ये, बालमजुरी परंपरा किंवा कौटुंबिक उपजीविकेच्या धोरणांचा भाग म्हणून सामान्यीकृत केली जाते. आंध्र प्रदेशातील बीडी बनवणाऱ्या युनिट्समध्ये, बालमजुरीकडे बालहक्कांचे उल्लंघन करण्याऐवजी

कौटुंबिक परंपरा म्हणून पाहिले जाते. इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शनच्या अहवालात असे नमूद केले आहे की "बालमजुरी हा शोषणाचा सर्वात प्रचलित प्रकार आहे कारण तो सामाजिकदृष्ट्या स्वीकारलेला गुन्हा आहे". हे सामान्यीकरण कुटुंब-आधारित कामापर्यंत विस्तारते, जिथे शाळेच्या वेळेनंतर कौटुंबिक उद्योगांमध्ये किंवा शेतात मदत करणारी मुले बहुतेकदा संभाव्य हानिकारक म्हणून ओळखली जात नाहीत, जरी ती शिक्षण आणि विकासात अडथळा आणत असली तरीही.

#### स्थलांतर आणि विस्थापन

आर्थिक संकटामुळे कामगार स्थलांतर, बहुतेकदा मुलांना शाळेतून काढून कामावर नेले जाते."जेव्हा कुटुंबे कामासाठी स्थलांतर करतात तेव्हा मुले अनेकदा त्यांचे शिक्षण सुरू ठेवू शकत नाहीत आणि इतर प्रकारच्या कामात गुंततात. बालमजुरीचे हे एक प्रमुख कारण आहे".

#### मागणी घटक

नियोक्ते मागणी करतात म्हणून बालमजुरी कायम राहते. अनौपचारिक, अनियंत्रित उद्योगांमध्ये, मुले स्वस्त, लवचिक आणि कमी मागणी असलेल्या श्रमाचे स्रोत आहेत. लघु उद्योग, शेती व्यवसाय आणि कुटुंबे बालकामगारांना प्राधान्य देतात कारण त्यांना कमी वेतन दिले जाऊ शकते, नियंत्रित करणे सोपे असते आणि त्यांना चांगल्या कामाच्या परिस्थिती किंवा कायदेशीर संरक्षणाची मागणी करण्याची शक्यता कमी असते.

#### बालमजुरीचे परिणाम

##### शारीरिक आरोग्यावर परिणाम

मजुरीमध्ये गुंतलेल्या मुलांना, विशेषतः धोकादायक कामांना, गंभीर आणि अनेकदा अपरिवर्तनीय शारीरिक परिणाम भोगावे लागतात:

जुनाट वेदना: वीटभट्टी, शेती आणि घरगुती कामात जड वस्तू उचलल्याने पाठ आणि सांधेदुखीचा त्रास होतो.

श्वसन समस्या: खाणी आणि कारखान्यांमध्ये धूळ आणि धुराच्या संपर्कात आल्याने दमा, सिलिकोसिस आणि ब्रॉन्कायटिस समस्या उत्पन्न होतात.

त्वचेचे विकार: विषारी पदार्थ हाताळल्याने जळजळ, ऍलर्जी आणि त्वचेचे जुनाट आजार होतात.

कर्करोगाचा धोका: रासायनिक कारखाने आणि खाणींमध्ये कार्सिनोजेनच्या संपर्कात आल्याने कर्करोगाचा धोका वाढतो.

प्रजनन आरोग्य समस्या: कीटकनाशके आणि रसायने बंध्यत्व आणि दीर्घकालीन आरोग्य गुंतागुंत निर्माण करतात.

कुपोषण: कठोर शारीरिक श्रमासह खराब पोषणामुळे वाढ खंडते आणि रोगप्रतिकारक शक्ती कमकुवत होते.

दृष्टी समस्या: भरतकाम आणि इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये बारीक काम केल्याने डोळ्यांवर ताण येतो आणि कायमची दृष्टी बिघडते.

कायमस्वरूपी अपंगत्व: धोकादायक कामाच्या ठिकाणी अपघातांमुळे अनेकदा फ्रॅक्चर आणि आयुष्यभर अपंगत्व येते.

#### मानसिक परिणाम

बालकामगारांचे मानसिक नुकसान तितकेच विनाशकारी असते :

चिंता आणि नैराश्य: तणावपूर्ण कामाची परिस्थिती, शोषण आणि कुटुंबापासून वेगळे होणे यामुळे दीर्घकालीन भावनिक त्रास होतो.

आघातानंतरचा ताण विकार: कठोर आणि गैरवापराचे कामाचे वातावरण, विशेषतः बंधने घालण्याच्या किंवा तस्करीच्या परिस्थितीत, कायमस्वरूपी आघात निर्माण करते.

कमी आत्मसन्मान: बालपणातील सतत शोषण आणि नकार यामुळे निरुपयोगीपणा आणि निराशेची भावना निर्माण होते.

सामाजिक अलगाव: बालपणातील सामान्य अनुभव आणि समवयस्कांच्या संवादांचा अभाव सामाजिक विकास आणि नातेसंबंध निर्माण करण्यास अडथळा आणतो. मादक पदार्थांचा गैरवापर: तणाव आणि आघात, असुरक्षित वातावरणासह, व्यसनाचा धोकाही वाढवितो.

#### शैक्षणिक वंचितता

काम करणारी मुले: शाळेत पूर्णपणे अनुपस्थित राहणे किंवा अनियमितपणे उपस्थित राहणे, शाळेचे दिवस कमी करणे आणि शिकण्याचा वेळ कमी करणे, कमी शैक्षणिक कामगिरी साध्य करणे, जास्त दराने गळती, शिक्षणाद्वारे सामाजिक विकासाच्या संधी गमावणे, ही शैक्षणिक वंचितता पिढीजात गरिबी कायम ठेवते, कारण शिकण्याऐवजी काम करणारी मुले आयुष्यभर कमी कुशल, कमी वेतनाच्या रोजगारासाठी दोषी ठरतात.

राष्ट्रीय बाल कामगार प्रकल्प (NCLP)

१९८८ मध्ये सुरू झालेली, NCLP ही एक केंद्र प्रायोजित योजना आहे, जी विशेष प्रशिक्षण केंद्रांद्वारे बाल कामगारांची ओळख पटवणे, त्यांची सुटका करणे आणि पुनर्वसन करणे यावर लक्ष केंद्रित करते. कामावरून काढून टाकलेल्या मुलांना अशा शाळांमध्ये पाठवले जाते जे उपचारात्मक शिक्षण देतात आणि औपचारिक शाळेत रूपांतरित करण्यास मदत करतात. वेलपूरच्या यशोगाथेत NCLP ने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली, जिथे नियमित शाळांमध्ये प्रवेश घेण्यापूर्वी बीडी युनिट्स आणि शेतातील मुलांना उपचारात्मक शिक्षण देण्यात आले.

शिक्षण आणि कल्याणकारी योजना

शिक्षणाची उपलब्धता सुधारून आणि असुरक्षित कुटुंबांना आधार देऊन बालमजुरीच्या मूळ कारणांवर अनेक योजना उपाय म्हणून काम करतात : शिक्षण हक्क कायदा, २००९: ६-१४ वयोगटातील मुलांसाठी शिक्षण हा मूलभूत अधिकार बनवतो. मध्यान्ह भोजन योजना: शाळांमध्ये शिजवलेले अन्न पुरविते, पोषण सुधारते आणि उपस्थितीला प्रोत्साहन देते.

समाग्र शिक्षा: शालेय शिक्षणासाठी एकात्मिक योजना ज्यामध्ये पूर्व-शाळा ते १२ वी पर्यंतच्या शिक्षणाचा समावेश आहे.

दीक्षा: शालेय शिक्षणासाठी डिजिटल पायाभूत सुविधा, शिक्षक प्रशिक्षण आणि शिक्षण संसाधने प्रदान करणे.

चार नवीन कामगार संहिता

अलीकडेच लागू केलेल्या चार कामगार संहिता - वेतन, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध आणि व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाच्या परिस्थिती - मध्ये बालमजुरी निर्मूलनाशी संबंधित तरतुदी आहेत. या संहिता कामगार नियमांना सुलभ करणे आणि सर्व कामगारांसाठी संरक्षण मजबूत करणे, ज्यामध्ये मुलांना कामावर ढकलणाऱ्या परिस्थितींना प्रतिबंधित करण्यास मदत करू शकतील अशा तरतुदींचा समावेश आहे.

वेलपूर मॉडेल: एक यशोगाथा

बालकामगार निर्मूलनात तेलंगणातील वेलपूर मंडळ भारतातील सर्वात प्रेरणादायी यशोगाथांपैकी एक आहे. एकेकाळी व्यापक बालकामगारांसाठी कुप्रसिद्ध असलेले वेलपूर २० वर्षांहून अधिक काळ बालकामगारमुक्त राहिले आहे. २००१ मध्ये, निजामाबादच्या तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्थानिक अधिकारी, सरपंच, शिक्षक, जातीय वडीलधारी आणि नागरी समाज यांचा समावेश असलेली १०० दिवसांची मोहीम सुरू केली. उद्दिष्ट सोपे पण महत्वाकांक्षी होते: प्रत्येक मुलाला ओळखा आणि शाळेत दाखल करा. २ ऑक्टोबर २००१ पर्यंत, वेलपूर मंडळातील ५-१५ वयोगटातील सर्व ८,०५७ मुलांना शाळांमध्ये दाखल करण्यात आले आणि मंडळ

बालकामगारमुक्त घोषित करण्यात आले. ही स्थिती दोन दशकांहून अधिक काळ टिकवून ठेवण्यात आली आहे, हे दर्शविते की शाश्वत राजकीय इच्छाशक्ती, समुदाय सहभाग आणि व्यापक पाठिंब्याने जे साध्य करता येत नाही ते केवळ कायदे करू शकत नाहीत.

अंमलबजावणी आणि अंमलबजावणीतील अपयश

मजबूत कायदेशीर तरतुदी असूनही, अंमलबजावणी कमकुवत राहते. खराब देखरेख, भ्रष्टाचार, विभागांमधील समन्वयाचा अभाव आणि अपुरी संसाधने अंमलबजावणीला कमकुवत करतात. झारखंडमध्ये, कायदेशीर बंदी असूनही मुले अन्नक खाणींमध्ये काम करत राहतात. अटकेच्या आकडेवारीवरून त्रासदायक असमानता दिसून येते. तेलंगणाने बालकामगार प्रकरणांशी संबंधित २,२४७ व्यक्तींना अटक केली, तर उत्तर प्रदेशने - उच्च बचाव संख्या असूनही - फक्त १६७ अटक केली. खटल्यातील अशा तफावती प्रतिबंधकतेला कमकुवत करतात आणि नियोक्त्यांसाठी दंडमुक्तीचे संकेत देतात

पुनर्वसन

मुलांना कामावरून काढून टाकणे हे फक्त पहिले पाऊल आहे. शिक्षण, मानसिक सामाजिक आधार आणि कुटुंबांसाठी आर्थिक आधार यासह व्यापक पुनर्वसन न करता, सुटका केलेली मुले पुन्हा कामावर येण्यास असुरक्षित राहतात. बालकामगार आणि घरगुती कर्ज यांच्यातील दुवा विशेषतः महत्त्वाचा आहे: बंधपत्रित कामगारातून सोडवलेली मुले अनेकदा कामावर परततात कारण कुटुंबाचे कर्ज फेडलेले नसते. बालकामगारांवरील सर्वात अलीकडील व्यापक डेटा २०११ च्या जनगणनेचा आहे. बचाव कार्याचा डेटा मौल्यवान अंतर्दृष्टी प्रदान करतो, परंतु तो केवळ ओळखल्या जाणाऱ्या आणि सुटका केलेल्या मुलांनाच पकडतो, समस्येचे संपूर्ण परिमाण नाही. अलीकडील राष्ट्रीय स्तरावरील अंदाजांचा अभाव पुराव्यावर आधारित धोरण तयार करण्यास अडथळा आणतो. भारतात बालकामगारांचे उच्चाटन करण्यासाठी पुरवठा आणि मागणी दोन्ही घटकांना संबोधित करण्यासाठी, अंमलबजावणी मजबूत करण्यासाठी आणि प्रभावी पुनर्वसन सुनिश्चित करण्यासाठी एक व्यापक, बहुआयामी दृष्टिकोन आवश्यक आहे.

शहरी बालकामगार

एकूण घट होऊनही शहरी बालकामगारांमध्ये वाढ विशेषतः चिंताजनक आहे. शहरी बालकामगार बहुतेकदा अधिक अदृश्य असतात—घरांमध्ये, लहान कार्यशाळांमध्ये आणि अनौपचारिक सेवा क्षेत्रात—आणि त्यांचे निरीक्षण आणि नियमन करणे अधिक कठीण असते.

कायदेशीर अंमलबजावणी मजबूत करणे

वेळबद्ध खटले: सर्व बालकामगार प्रकरणे जलद खटले भरतील याची खात्री करा, प्रकरणांचे निराकरण करण्यासाठी स्पष्ट वेळेसह. स्पष्ट आदेश, संसाधने आणि जबाबदारी यंत्रणांसह जिल्हास्तरीय बाल कामगार कार्य दलांची स्थापना आणि सक्रिय करणे अत्यावश्यक आहे. सोबतच कामगार निरीक्षक आणि इतर अधिकाऱ्यांनाया कामगिरीसाठी जबाबदारधरणे आवश्यक आहे. नवीन राष्ट्रीय बाल धोरण: २०१६ च्या बाल कामगार सुधारणा कायदा आणि एसडीजी ८.७ शी सुसंगत असलेले सुधारित राष्ट्रीय बाल धोरण अंमलात आणणे, ज्यामध्ये स्पष्ट अंमलबजावणी यंत्रणा आणि अर्थसंकल्पीय वचनबद्धता असतील.

शिक्षणात बदल करणे:

शाळेची गुणवत्ता सुधारणे: सरकारी शाळांमधील गुणवत्तेची कमतरता - शिक्षकांची अनुपस्थिती, अपुरी पायाभूत सुविधा, कमी शिक्षण परिणाम - ज्यामुळे मुलांना शाळेतून बाहेर काढून कामावर ढकलले जाते - यावर उपाय करणे अत्यंत आवश्यक आहे.

सामुदायिक सहभाग आणि जागरूकता

पंचायत-स्तरीय देखरेख: शाळा सोडलेल्यांचा मागोवा घेण्यासाठी आणि स्थानिक जबाबदारी सुनिश्चित करण्यासाठी ग्रामपंचायती आणि शाळा व्यवस्थापन समित्यांना सक्षम करणे.

जागरूक मोहिमा: पालक, समुदाय आणि संभाव्य नियोक्त्यांना लक्ष्य करून सतत जागरूकता मोहिमांद्वारे बालकामगारांच्या सामाजिक स्वीकृतीचा सामना करणे.

व्यापक पुनर्वसन धोरण: सुटका केलेल्या मुलांसाठी शिक्षण, कौशल्य विकास, आर्थिक सहाय्य आणि मानसिक-सामाजिक काळजी समाविष्ट करणारा एक व्यापक पुनर्वसन चौकट विकसित आणि अंमलात आणणे आवश्यक आहे.

बालकामगार पुनर्वसन निधी: जिल्हा आणि राज्य पातळीवर पुनर्वसनासाठी समर्पित निधी स्थापन करा आणि पुरेसा निधी उपलब्ध करणे.

निष्कर्ष

भारतात बालकामगार विकास आणि संरक्षण या दोन्ही बाबतीत गंभीर अपयश दर्शवितात. संवैधानिक हमी, कायदेशीर प्रतिबंध आणि आंतरराष्ट्रीय वचनबद्धता असूनही, लाखो मुले बालपण, शिक्षण आणि भविष्यातील

संधी हिरावून घेणाऱ्या परिस्थितीत काम करत राहतात. तरीही चित्र एकसारखेच निराशाजनक नाही. २००१ ते २०११ दरम्यान बालकामगारांचे प्रमाण १.२६ कोटींवरून १.०१ कोटींपर्यंत घसरल्याने हे दिसून येते की प्रगती शक्य आहे. एका वर्षात ४०,००० हून अधिक मुलांना बालकामगारांच्या सर्वात वाईट प्रकारांपासून वाचवल्याने अंमलबजावणी मजबूत होत असल्याचे दिसून येते. वेलपूर मॉडेल हे सिद्ध करते की शाश्वत राजकीय इच्छाशक्ती, समुदाय एकत्रीकरण आणि व्यापक पाठिंब्याने संपूर्ण समुदाय बालकामगारांपासून स्वतःला मुक्त करू शकतात. तथापि, आव्हाने भयानक आहेत. वाढती शहरी बालकामगार, सतत अंमलबजावणीतील तफावत, जुने राष्ट्रीय धोरण आणि अपुरे पुनर्वसन या सर्वांवर त्वरित लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. बालमजुरीचे उच्चाटन करण्यासाठी एका संकुचित कायदेशीर दृष्टिकोनाच्या पलीकडे जाऊन एका व्यापक धोरणाकडे जाणे आवश्यक आहे जे मूळ कारणांना संबोधित करते, अंमलबजावणी मजबूत करते, शिक्षणात परिवर्तन आणते, असुरक्षित कुटुंबांना आधार देते आणि समुदायांना सहभागी करून घेते आणि मालकांना जबाबदार धरते. बालमजुरी ही एक वेगळी समस्या नाही तर सामाजिक संरक्षण, आर्थिक समावेशन आणि शैक्षणिक वितरणातील खोल अपयशांचे प्रकटीकरण आहे हे ओळखणे आवश्यक आहे.

भारत एक विकसित राष्ट्र आणि जागतिक नेता बनण्याची आकांक्षा बाळगत असताना, तो आपल्या लाखो मुलांना मागे ठेवू शकत नाही. श्रमिक असलेले प्रत्येक मूल हे शिकण्याचा, खेळण्याचा आणि वाढण्याचा अधिकार नाकारलेले मूल आहे - एक मूल ज्याची क्षमता ती वाढण्यापूर्वीच संपते. बालमजुरी संपवणे हे केवळ धोरणात्मक उद्दिष्ट किंवा आंतरराष्ट्रीय वचनबद्धता नाही; ते एक नैतिक अत्यावश्यकता आहे आणि राष्ट्राच्या आपल्या मुलांप्रती असलेल्या वचनबद्धतेची अंतिम परीक्षा आहे. साधने उपलब्ध आहेत: मजबूत कायदे, सिद्ध हस्तक्षेप, यशस्वी मॉडेल परंतु आता गरज आहे ती राजकीय इच्छाशक्ती, प्रशासकीय क्षमता आणि त्यांना मोठ्या प्रमाणात लागू करण्यासाठी सामूहिक संकल्पाची.

संदर्भ :

1. पाण्डेय मंजु (१९९८): 'भारत में बालश्रमिक', मानक पब्लिकेशन्स प्रा. लि., नई दिल्ली.
2. डॉ. फडणविस मृणालिनी/डॉ. देशपांडे प्राची (२००२) श्रम अर्थशास्त्र, पिंपलापुरे अॅण्ड कं. पब्लिशर्स, नागपूर.
3. वाणी उमेश (२०१४) : "बाल मजुरी आणि कृषी क्षेत्र", चिन्मय प्रकाशन, औरंगाबाद.

4. Times of India. (2021). "Allocations under National Child Labour Project dip by less than half in 2 years." Available at: <https://timesofindia.indiatimes.com/india/allocations-under-national-child-labour-project-dip-by-less-than-half-in-2-years/articleshow/85093540.cms>
5. Telegraph India. (2021). "Editorial: All work." Available at: <https://www.telegraphindia.com/opinion/all-work-child-labour/cid/1827680>
6. Outlook India. (2021). "Over 58,000 Rescued In 2020-21 From Child Labour." Available at: <https://www.outlookindia.com/national/india-news-over-58000-rescued-in-2020-21-from-child-labour-news-390388>
7. Times of India. (2021). "Over 9 million children globally could be pushed into child labour due to pandemic: Report." Available at: [https://timesofindia.indiatimes.com/india/over-9-million-children-globally-could-be-pushed-into-child-labour-due-to-pandemic-report/amp\\_articleshow/83408462.cms](https://timesofindia.indiatimes.com/india/over-9-million-children-globally-could-be-pushed-into-child-labour-due-to-pandemic-report/amp_articleshow/83408462.cms)
8. Indian Express. (2021). "Telling Numbers on child labour: 58,000 rescued in 2020-21." Available at: <https://indianexpress.com/article/explained/india-child-labour-2020-7435998/>
9. Hindustan Times. (2020). "Parents in debt, out of work, school kids in city forced into child labour." Available at: <https://widgets.hindustantimes.com/cities/closure-of-schools-job-loss-push-ews-students-into-child-labour/story-sehfYAYuDSGhHSJR6bfRpN.html>
10. US Department of Labor. (2022). "2021 Findings on the Worst Forms of Child Labor: India." Available via ecoi.net: <https://www.ecoi.net/en/document/2082726.html>